Par. S. 12. II. 7. 53
285

अंक २
संख्या ७

बृहस्पतिवार
९ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २७५७—२८०३]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २८०३—२८१६]

(मूल्य ४ आने)

216 P.S.D.

लोक सभा

बृहस्पतिवार ९ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*१२३३. **डा० राम सुभग सिंह**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को यह आदेश दिया गया था कि वे भारत में बनी हुई कारें तथा ट्रकें खरीदें ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों की मोटरगाड़ियों की आवश्यकताओं का अधिकतर भाग भारतीय फ़र्मों से खरीदा जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) आदेश यह था कि जहां तक सम्भव हो, भारत में पुर्ज़े जोड़ कर बनाई गई कारें तथा ट्रकें खरीदी जायें।

(ख) जी हां।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि पिछले वर्ष भारत में बनी हुई मोटरगाड़ियां कितने मूल्य की खरीदी गईं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: १ मार्च, १९५२ से २८ फ़रवरी, १९५३ तक खरीदी गई मोटर गाड़ियों का कुल मूल्य लगभग ५,४०,६४,२१० रुपये था। मंत्रालयों के लिये खरीदी गई ट्रकों तथा कारों का मूल्य निम्नलिखित था:

	रुपये
कारें	८,८१४
ट्रकें	९०,३६०

श्री गाडगिल: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारतीय कम्पनियों से कारें खरीदने का उद्देश्य यह है कि भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय ? तो इन कारों के पुर्ज़ों का कितने प्रतिशत भाग इस देश में बनाया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जैसा कि मैं ने एक बार पहले कहा था कि जब कि ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक मेक के पुर्ज़ों की प्रतिशतता भिन्न भिन्न है। एक कार इस देश में पुर्ज़े जोड़ कर बनाई जाती है, जिस के कई पुर्ज़े यहीं बनते हैं। उन के पास सिलंडर ब्लाक ढालने तथा अधिकतर ड्राइविंग पार्ट्स को खरीदने की सुविधायें हैं। कई ऐसी कम्पनियां हैं जो पूरे इंजन बाहर से मंगा लेती हैं। लेकिन अन्य पुर्ज़ों को यहीं

जोड़ती हैं और मोटरों की बाडियां यहीं बनाती हैं। यह उद्योग परिवर्तन काल में है और इसकी प्रत्येक इकाई की प्रगति की अपनी विशेष अवस्था है।

श्री गाडगिल: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस सदन ने इस उद्योग को पहले ही संरक्षण देने की उदारता दिखाई है, तथा मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार को, ऐसी कार के, कब तक बाज़ार में आने की सम्भावना है जो पूर्णतया भारत में बनी हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस सम्बन्ध में तटकर आयोग को जांच करने के लिये कहा गया है, उसे निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न कारखानों की प्रगति की जांच करने और सरकार से यह सिफ़ारिश करने का काम दिया गया है कि संरक्षण आवश्यक है या नहीं और यदि है तो किस प्रकार का संरक्षण दिया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इस आयोग की रिपोर्ट कुछ दिनों में प्राप्त हो जायगी और उस पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद मैं विशेषतया इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा।

श्री वेंकटारमन्: मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने बम्बई सरकार को, बाहर से मोटरगाड़ियों के इंजन तथा ट्रक मंगाने के लिये ४४ करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे विचार में ये लाइसेंस बम्बई सरकार द्वारा मोटर गाड़ियां खरीदे जाने के सम्बन्ध में नहीं दिये गये थे। बम्बई सरकार को एक सहायता कार्यक्रम के अधीन कुछ ट्रक मिल रहे थे। बम्बई सरकार को यह सहायता लेने के लिये ये लाइसेंस दिये गये थे।

श्री वेंकटारमन्: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस प्रकार के डीज़ल इंजन भारत में नहीं मिलते थे, इसलिये उन के बाहर से मंगाने की अनुमति दी गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सम्भव है श्रीमान् कि ऐसे कुछ इंजन मिल सकते हों परन्तु वे पुर्ज़े जोड़ कर बनाये गये थे। जहां तक ट्रकों का सम्बन्ध है, उन के निर्माण में बहुत कम प्रगति हुई है। कारों के निर्माण में तो हम ने कुछ प्रगति की है। परन्तु ट्रकों के निर्माण में प्रगति नहीं हुई। इसलिये देश में इन का क्रय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री वेंकटारमन्: क्या भारत में पुर्ज़े जोड़ कर ये वस्तुयें बनाने वाले ऐसे निर्माता नहीं हैं जो बहुत से भारतीय पुर्ज़े भी उन में लगाते हैं और यदि हां तो बम्बई सरकार को आयात का लाइसेंस क्यों दिया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है मेरी बात ठीक नहीं समझी या शायद मैं ने ठीक ढंग से व्याख्या नहीं की। ट्रकों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उन के पुर्ज़े जोड़ने में बहुत कम मेहनत होती है। इंजन पूरे आते हैं और बाक़ी पुर्ज़े अलग अलग। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि ट्रक की बाडी बाहर से नहीं आती यहीं बनाई जाती है, इसलिये उस पर भारतीय मज़दूरों की मेहनत कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं है। जो भी हो, बम्बई सरकार को लाइसेंस इसलिये दिये गये कि उसे एक सहायता कार्यक्रम के अधीन जो चीज़ मुफ़्त मिल रही थी, उसे ले सके।

श्री दामोदर मैनन: क्या मैं यह जान सकता हूं कि पिछले वर्ष भारतीय फ़र्मों ने कितनी कारें तैयार कीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि वह कौन सी हिन्दुस्तानी फ़र्म्स हैं, जिन से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी और ट्रक वग़ैरा खरीदी जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री केलप्पन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि देश को प्रति वर्ष कितनी कारों तथा ट्रकों की आवश्यकता होती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ऐसा मामला है जिस पर मैं उस समय तक कुछ नहीं कहना चाहता, जब तक कि तटकर आयोग की अधिकृत रिपोर्ट मुझे नहीं मिल जाती । पहले जितनी कारें तथा ट्रकें खरीदी जाती रही हैं उन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग १२ हज़ार कारें तथा इतनी ही ट्रकों की आवश्यकता है । सम्भव है कि यह अनुमान ग़लत हो । यह भी हो सकता है कि पहले बढ़ी हुई मांग के आधार पर लगाया गया होने के कारण यह अनुमान ठीक न हो । मैं इस सम्बन्ध में तटकर आयोग की अधिकृत राय प्राप्त होने तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि ब्रिटेन की स्टैण्डर्ड मोटर कम्पनी ने विशेष रूप से बनाई गई एक सस्ती कार केवल ५०० पौण्ड में बेचने को कहा है और क्या सरकार ने उस प्रकार की कारों के कुछ आर्डर दिये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को ऐसी कारों की आवश्यकता नहीं है । परन्तु मुझे पता चला है कि कोवेन्ट्री की स्टेण्डर्ड मोटर कम्पनी की स्थानीय शाखा का इरादा है कि छोटी कारों के पुर्ज़े बाहर से मंगाये जायें और उन्हें भारत में ला कर जोड़ा जाय ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत से बाहर पुर्ज़े जोड़ कर बनाई गई कारों तथा ट्रकों, जो भारत में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों के मंत्रालयों के लिये मंगाई गईं, का मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि इस प्रश्न के लिये बहुत कुछ ठीक ठीक बताने की आवश्यकता है और मैं इस समय ऐसा नहीं कर सकता । मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुये--

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसी बात पर दस मिनट से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

मोटरों के पुर्ज़ों के मूल्य

*१२३४. **श्री बालकृष्णन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरों के पुर्ज़ों के मूल्य गिराने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ;

(ख) क्या मोटरों के पुर्ज़ों के मूल्यों पर नियंत्रण है ; और

(ग) क्या देशीय कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिये, मोटरों के पुर्ज़े बाहर से मंगाने पर कोई निर्बन्ध लगा हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के हस्तक्षेप पर आयात अधिक उदार कर दिया गया है, पुर्ज़े जोड़ने वाली मुख्य कम्पनियों और पुर्ज़े बेचने वालों ने बड़े पैमाने पर खरीदने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को कम मूल्य पर पुर्ज़े बेचना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या पुर्ज़े जोड़ने वालों या मोटरगाड़ियां बनाने वालों को इस बात का प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे विशेष पुर्ज़े बनायें और उन्हें अन्य निर्माताओं को दें, बजाय इस बात के कि प्रत्येक निर्माता प्रत्येक पुर्ज़ा बनाने का प्रयत्न करता रहे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी, हां यदि माननीय सदस्य ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों पर वादविवाद के उत्तर में मेरे भाषण को सुना होता तो उन्हें पता चल जाता कि सरकार के भी विचार वहीं हैं जो कि उन के । हमारा इरादा यह है कि यह मालूम करें कि हम पुर्ज़े जोड़ कर मोटरगाड़ियां बनाने वालों को अपने आर्डर भारत में ही देने का प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं । इस बात की जांच अभी की जानी है कि हमें उन को कितनी सुविधा देनी है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : उन्होंने कितने प्रतिशत कमी करना स्वीकार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, पुर्ज़ों पर लगाया हुआ मूल्य, आयातित मूल्य के ९० से १०० प्रतिशत तक अधिक होता है । व्यापारियों का कहना है कि उन्हें ने केवल जल्दी बिकने वाले बल्कि धीरे धीरे बिकने वाले पुर्ज़ों के लिये भी पर्याप्त एजन्ट रखने पड़ते हैं, इसलिये उन्हें आयातित मूल्यों में ९० से ११० प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ती है । सरकार ने निश्चय किया है कि पुर्ज़े जोड़ कर मोटरें बनाने वालों तथा आयात करने वालों को चाहिये कि पुर्ज़े खरीदने वाले मुख्य लोगों के लिये एक ही मूल्य रखें और व्यापारी लाभ में अपना भाग स्वयं ही निश्चित कर लें । हमें कुछ आंकड़े दिये गये हैं । आयात मूल्य, जिस में माल रखने, ब्याज आदि की लाग भी है, में अधिक से अधिक ३८ प्रतिशत तथा कम से कम २५ प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है ।

श्री नानादास उठ खड़े हुये—

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें अगले प्रश्न पर आ जाना चाहिये ।

सर्वोच्च न्यायालय के लिये भवन

*१२३५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के लिये स्थायी भवन के नक़शों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां तो यह नया भवन किस स्थान पर बनाया जायगा ?

(ख) क्या यह सच है कि इस भवन में केवल न्यायालय के कमरे तथा न्यायाधीशों के कमरे होंगे और एडवोकेटों तथा एजण्टों के लिये कमरे नहीं होंगे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, सर्वोच्च न्यायालय का नया भवन हार्डिग एवेन्यू और दिल्ली मथुरा सड़क के बीच हार्डिग पुल के पास तिकोने प्लाट पर बनाने का विचार है ।

(ख) न्यायालय के तथा जजों के कमरों के अतिरिक्त, इस भवन में प्रारम्भ में न्यायालय के कार्यालय, वकील संस्था, उसकी लाइब्रेरी और कैन्टीन के लिये स्थान होगा । मुख्य भवन के बन चुकने पर एडवोकेटों तथा एजण्टों के लिये कमरे बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा । इस भवन के प्रस्तावित नक़शों में प्रसार की गुंजाइश है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेटों तथा एजेटों के लिए अलग कमरे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी, हां। नये भवन में भी इन की व्यवस्था की जा रही है।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार इस असुविधा से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा विचार था कि यह सुविधा है।

श्री वी० पी० नायर : आप कहते हैं कि नया भवन बन चुकने तक उन के लिये कमरे नहीं होंगे। एक रात में तो कमरे बनने से रहे

सरदार स्वर्ण सिंह : नये भवन के बन चुकने तक तो एडवोकेटों को इन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम किसी मामले पर बहस नहीं कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर : एक और प्रश्न। बहस करने का तो कोई लाभ नहीं। श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस भवन के बनाने पर लगभग कितना खर्च होगा और क्या यह सरकार की प्रत्यक्ष देखरेख में बनाया जायगा या ठेके के अनुसार ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, जिन नकशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, उनके अनुसार इस पर ५० लाख रुपया खर्च होगा। और इसका निर्माण, केन्द्रीय जन निर्माण विभाग के सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हाउसिंग की इतनी कठिनाई है तब इतना बड़ा खर्चा कर के क्या ऐसी आवश्यकता थी कि जो हम यह नई इमारत बनाने लगे हैं जब कि आलरेडी सुप्रीम कोर्ट के लिये बिल्डिंग थी और यह काम चल रहा था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस सवाल का जवाब देना कुछ थोड़ा ऐम्बैरेसिंग सा है, इसलिये कि पार्लियामेंट की तरफ़ से यह मांग की जा रही है कि यह सारी की सारी बिल्डिंग पार्लियामेंट के काम के लिये ही रखी जाये और यहां से सुप्रीम कोर्ट को जितनी जल्दी हटाया जा सके उतना अच्छा।

डा० राम सुभग सिंह : इस भवन का निर्माण कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, विस्तृत योजनायें बनाई जा रही हैं और सम्भव है कि यह काम इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ कर दिया जाय ?

श्री एस० वी० रामास्वामी : एक प्रश्न और, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अगला प्रश्न।

लंका से भारतियों का निकास

*१२३६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका सरकार द्वारा अप्रवासन अधिनियम संशोधन विधेयक द्वारा कुछ परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप भारतीय उद्भव के बहुत से व्यक्तियों के निकास का डर है ;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक में ऐसे कौन से उपबन्ध हैं जिन से यह निकास होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस निकास को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, हां। लंका के भारतियों को ऐसे निकास का डर है।

(ख) इस विधेयक के मुख्य उपबन्ध ये हैं:

(१) इस में यह व्यवस्था की गई है कि जो भी किसी ऐसे व्यक्ति को ले जायगा, आश्रय देगा या जानबूझ कर नौकर रखेगा, जो आप्रवासी तथा अप्रवासी अधिनियम या उसके अधीन किसी आज्ञा या विनिमय के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके लंका में आया हो और वहां रह रहा हो, उसे १,००० रुपये तक जुर्माना या ६ महीने तक का कारावास या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(२) यदि पुलिस का कोई सहायक सुपरिन्टेंडेंट जांच के बाद यह प्रमाणपत्र दे दे कि उस के विचार म, किसी व्यक्ति का लंका में प्रवेश, अधिनियम के विरुद्ध है तो यह समझ लिया जायगा कि ऐसा व्यक्ति अवैध रूप से लंका में आया है और उसे यह प्रमाणित करना होगा कि लंका में उस का प्रवेश या रहना वध है।

(३) इस अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध की ज़मानत नहीं ली जा सकती।

(४) अस्थायी निवास परमिट की अधिकाधिक कालावधि ५ वर्ष तक सीमित रखी गई है। स्थायी निवास परमिट ५ वर्ष से अधिक निश्चित कालावधि के लिये दिया जायगा।

स्वाभाविक ही है कि लंका के भारतीय इस संशोधन विधेयक के दूरगामी उपबन्धों से बहुत घबरा गय हैं और उन्हें डर है कि लंका से भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्तियों का निकास होने लगेगा जिन्हें उन के मालिक काम से हटा दें।

(ग) लंका में भारत के हाई कमिश्नर ने लंका सरकार को बता दिया है कि इस विधेयक के क्या परिणाम होने की सम्भावना है। विचार है कि उस सरकार से इस सम्बन्ध में और बातचीत की जाय।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या यह जान सकता हूं कि क्या और यदि हां तो इस विधेयक के संशोधित उपबन्ध किस प्रकार १९४८ में लंका के प्रधान मंत्री द्वारा हमारे प्रधान मंत्री को दिये गये आश्वासन के विरुद्ध हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने इस विधेयक का ब्यौरा दिया है। निश्चय ही ये उपबन्ध हमें पहले से दिये हुय आश्वासन के विरुद्ध हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं उन लोगों की संख्या जान सकता हूं जिन पर इन उपबन्धों का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

श्री अनिल के० चन्दा : निश्चित आंकड़े मालूम करना बहुत कठिन है परन्तु अनुमान है कि यह संख्या १० और ५० हज़ार के बीच है।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर यह आशा है कि लंका सरकार इन उपबन्धों को बदल देगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह हमें मालूम नहीं परन्तु आशा अवश्य है।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि हाई कमिश्नर ने जब से इस बिल के सम्बन्ध में सीलोन सरकार का ध्यान दिलाया है उस के बाद से कुछ फ़र्क़ हुआ है, अगर हुआ है तो क्या ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभी बातचीत की जा रही है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अब तक जो प्रतिरोध किये गये हैं उन के अतिरिक्त सरकार सहायता देने के लिये कोई और कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे कूटनीतिक ढंग के अतिरिक्त, जिस के अनुसार हम चल रहे हैं, और किसी ढंग का पता नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि लंका में जो भारतीय हैं, उन में से अधिकतर दक्षिण भारत के हैं?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरा विचार है कि ऐसी ही है ।

श्री अच्युतन : क्या इस विधेयक के कारण, लंका को खाद्य पदार्थों की सहायता देने के सम्बन्ध में हमारी नीति में परिवर्तन होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे बदला लेना चाहते हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन भारतियों को राशन कार्ड देने के सम्बन्ध में झगड़ा तै हुआ है या नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्थिति वही है जो पहले थी ।

श्री एस० एन० दास : बातचीत के फलस्वरूप .....

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है श्रीमान्, कि मैं ने ग़लत कह दिया । राशन कार्ड दे दिये गये हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा बात चीत किए जाने के फलस्वरूप इस विधेयक पर विचार स्थगित किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : निचले सदन ने इस विधेयक को पास कर दिया है । अब यह सिनेट में जायगा ।

श्री थानू पिल्ले : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस विधेयक के पास किये जाने के फलस्वरूप बहुत से भारतीय भारत आ ही गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

अभ्रक की मान स्थापना

*१२३७. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रमाप संस्था (अभ्रक विभाग) अभ्रक की मान स्थापना के सम्बन्ध में क्या कार्य करती है ?

(ख) यह माप तथा गुण के मान स्थापित करने के लिये क्या कसौटियां रखती है ?

(ग) क्या ये कसौटियां या मान, विदेशी क्रेताओं को स्वीकार हैं ?

(घ) इस बात की पड़ताल करने के लिये क्या ढंग अपनाया गया है कि अभ्रक के व्यापारी निश्चित मान के अनुसार चलते है या नहीं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय प्रमाप संस्था की अभ्रक विभागीय समिति का सम्बन्ध अभ्रक के भारतीय मान तैयार करने से है । प्रमाप की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की अभ्रक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय टेक्नीकल समिति के कार्यालय के रूप में, इस विभागीय समिति ने अभ्रक के अन्तर्राष्ट्रीय मान का मसौदा तैयार करने में सहायता दी है । इस समय यह मसौदा परिचालित किया जा रहा है ।

(ख) इस सिद्धान्त को सामने रख कर काम किया जाता है कि मान ऐसे हों जो व्यवहार्य हों और सभी सम्बद्ध पक्षों जैसे उत्पादकों, खपत करने वालों, व्यापारियों तथा टेक्नीकल जानकारों को स्वीकार हों । साथ ही उपलब्ध अभ्रक के प्रकार तथा श्रेणियों के सम्बन्ध में स्वाभाविक सीमाओं तथा इसे तैयार करने वालों के विशेष ज्ञान

की मानवीय सीमाओं का भी ध्यान रखा जाय ।

(ग) तथा (घ) । प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्यों कि अभ्रक के सम्बन्ध में मानों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अभ्रक के क्षेत्रों में यह समिति कैसे काम करती है—क्या यह प्रत्येक कारखाने का निरीक्षण कर के मान निश्चित करती है ? यह कैसे कार्य करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि संस्था इस प्रकार दौरा करने का काम नहीं करती। अभ्रक सम्बन्धी समिति में वे विशेषज्ञ हैं जिन्हें अभ्रक की तैयारी के तरीके का ज्ञान है और इसलिये मानों का प्रारूप तैयार करने के लिये जो सूचना आवश्यक है, वह इस संस्था को मिल सकती है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह केन्द्रीय अभ्रक विक्रयसंस्था का भाग है जो कि शीघ्र ही प्रारम्भ की जाने वाली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न का तात्पर्य भली प्रकार नहीं समझा हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं ही इस प्रश्न को स्पष्ट कर दें ।

श्री एन० पी० सिन्हा : सरकार का विचार है कि एक केन्द्रीय अभ्रक विक्रय बोर्ड स्थापित किया जाय जिस का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत से निर्यात किये जाने वाले अभ्रक से होगा । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह संस्था इस बोर्ड के अधीन काम करेगी या स्वतन्त्र रूप से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं यह नहीं कह सकता कि इस प्रश्न का पहला भाग कहां तक ठीक है । यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय मान संस्था उन सब निकायों के साथ सहयोग करती है जो उन वस्तुओं से सम्बद्ध हैं जिन के मान इसे निर्धारित करने पड़ते हैं । जो भी हो, यह किसी के अधीन रह कर कार्य नहीं करती है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि तैयार अभ्रक का कोई मान निर्धारित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक भारतीय मानों का सम्बन्ध है, भारतीय परिमाप संस्था ने दो मान निर्धारित किये हैं । एक है तैयार अभ्रक को श्रेणीबद्ध करने का ढंग और दूसरा मुस्कोवाइट अभ्रक को श्रेणीबद्ध करना । परन्तु अभी इन मानों को सभी राष्ट्रों में स्वीकार नहीं किया जाता ।

श्री नानादास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि मानों के इस प्रश्न पर अमरीका का प्रभाव पड़ा है जो कि सब से अधिक भारतीय अभ्रक खरीदता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय मान संस्था का एक सदस्य है । ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवेकिया, और ब्रिटेन अन्य सदस्य हैं। आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, स्वीडन, इटली, जापान, मेक्सिको, नीदरलैण्ड्स, न्यूज़ीलैंड, पोलैण्ड, पुर्तगाल, रूमानिया स्विट्ज़रलैण्ड, स्पेन तथा यूगोस्लाविया पर्यवेक्षक होने के नाते इस में दिलचस्पी रखते हैं ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन मानों को बनाये रखने के लिये ठोस कार्यवाही करने की सरकार की कोई व्यवस्था है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इस सदन ने

भारतीय मान संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह अधिनियम, १९५२ पास किया था और उस में इस बात का उल्लेख नहीं था कि मानों को अनिवार्य रुप से लागू किया जाय। मान का प्रश्न क्रेता तथा विक्रेता पर छोड़ दिया जाता है। परन्तु निश्चय ही इस अधिनियम के उपबन्ध सामने आ जायेंगे जब कि घटिया माल दिया जायगा।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि इस मुल्क में कुल कितना माइका पैदा होता है और उस का कितना पर्सेन्टेज बाहर जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय मेरा सम्बन्ध मान स्थापना से है। मैं इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अन्तर्राष्ट्रीय मान की स्थापना होने से अभ्रक उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सच तो यह है कि श्रीमान्, कि अभी तो अन्तर्राष्ट्रीय मान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। मेरे विचार में इस से उद्योग पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों कि मान निर्धारित करते समय हमारे दृष्टिकोण का और इन बातों का ध्यान रखा जायगा कि किन हालतों में अभ्रक निकाला जाता है और मान निर्धारण से उस में कौन से दोष उत्पन्न हो जायेंगे। मेरे विचार में तो भारत या भारतीय मान संस्था किसी ऐसे मान का स्वीकार नहीं करेगी जिस से इस देश के अभ्रक हितों पर बुरा प्रभाव पड़े।

तिलैया क्षेत्र में हेराही गांव का पानी में डूबना

*१२३८. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के तिलैया क्षेत्र में हेराही गांव के पानी में डूब जाने की सम्भावना है ?

(ख) यदि हां, तो उस गांव के रहने वालों को फिर से बसाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इन ग्रामीणों के लिये ११८ घर बनाये गये हैं और लगभग ६६० एकड़ बंजर भूमि खेती योग्य बनाई गई है क्यों कि ये लोग चाहते थे कि निगम भूमि को खेती योग्य बनाये और गौडिया कर्मा गांव में उनके लिये घर बनाये। लेकिन अभी ये लोग अपने नये घरों और भूमि पर नहीं गये हैं।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वे अभी वहां क्यों नहीं गये ? क्या इसका कोई विशेष कारण है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, इस के कई कारण हो सकते हैं। परन्तु मेरा विचार है कि एक मुख्य कारण यह है कि वे अपना गांव, जहां वे कई पीढ़ियों से रहते चले आये हैं, छोड़ने में हिचकिचाते हैं। दूसरा कारण यह है कि उन का कहना है कि नये घर उन के लिये उपयुक्त नहीं हैं। निगम से तो मैं यह दो कारण मालूम कर सका हूं।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि उन्होंने यह शिकायत की है कि उन्हें खेती के लिये उपयुक्त भूमि नहीं मिल रही और उन की खेती योग्य भूमि पानी में डूबने जा रही है ?

श्री हाथी : ६६० एकड़ भूमि को खेती योग्य भी तो बनाया गया है। यह उन्हें दी जायगी।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह पहले से ही आशा थी कि यह गांव पानी में डूब

जायगा या अब इस बात को साध्य या सम्भव समझा गया ?

श्री हाथी : यह पहले से ही आशा थी कि यह गांव पानी में डूब जायगा । गांव वालों से यह कहा गया था कि वे या तो भूमि तथा घर ले लें और या नक़द रुपया । उन्होंने कहा कि हम भूमि और घर चाहते हैं नक़द रुपया नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : यह मकान किसने बनाये ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम ने ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार दामोदर घाटी निगम को दण्ड देगी ?

श्री हाथी : उसे दण्ड देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । उस ने तो मकान वैसे ही बनाये जैसे कि ये लोग चाहते थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन्हें कृषि भूमि दी गई है या उस के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, ६६० एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई गई है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या निगम ने मकान बनाने से पहले इन गांव वालों को पूछ लिया था कि वे कैसे मकान चाहते हैं ?

श्री हाथी : उन से सामान्यतः सलाह ले ली गई थी परन्तु मकानों के डिज़ाइनों के सम्बन्ध में उन से नहीं पूछा गया था ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इसी गांव के विस्थापित ग्रामीण नई जगह नहीं जाना चाहते या पानी में डूबने वाले अन्य गांवों के लोगों के भी यही विचार हैं ?

श्री हाथी : अन्य गांवों के लोग तो अपने नये मकानों में चले भी गये हैं । इसी गांव के लोगों का यह हाल है ।

फ़ारमोसा के पास से अमरीका के सातवें समुद्री बेड़े का हटाया जाना

*१२३९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान अमरीका के राष्ट्रपति की उस घोषणा की ओर दिलाया गया है जिस के द्वारा उन्होंने, अमरीका का सातवां समुद्री बेड़ा फ़ारमोसा के पास से हटा लिया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार से इस घोषणा से पहले विचार विमर्श किया गया था या इस की सूचना दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या भारत सरकार ने अमरीका सरकार की कार्यवाही पर विरोध प्रकट किया था या अपनी कोई प्रस्थापना रखी थी ।

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं हम ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत सरकार की अपनी कोई राय नहीं थी या कि वह इस मामले पर अपनी राय प्रकट ही नहीं करना चाहती थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पर अपनी राय प्रकट नहीं करती ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि फ़ारमोसा की तटस्थता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अमरीका सरकार जो कार्यवाही करने का विचार रखती है उस सम्बन्ध में इस सरकार के साथ कोई विचार विमर्श किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं कोई भी नहीं। यह सरकार फारमोसा सरकार को नहीं मानती।

श्री गाडगिल: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह विचार विमर्श इसी बात में निहित नहीं था कि भारत सरकार ने, जून, १९५० में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई कार्यवाही को स्वीकार कर लिया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं।

जोंक नदी घाटी परियोजना

*१२४०. **श्री जांगड़े :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री, जोंक नदी घाटी परियोजना के सम्बन्ध में १२ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न नं० ११३९ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश कर के बताने की कृपा करेंगे:

(क) यदि जोंक नदी घाटी परियोजना के प्राथमिक स्तर के सम्बन्ध में परिमाप और ड्रीलिंग, बोरिंग तथा अन्य कार्य के व्यय के अनुमान का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि जोंक नदी घाटी परियोजना को कार्यान्वित किया गया है तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा और यह काम कितने समय में समाप्त होगा ;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वित करने से जोंक नदी घाटी के पानी के धरातल के अन्दर कितने एकड़ कृषि के योग्य, अनुपयोगी ज़मीन और जंगली पथरीली ज़मीन डूबेगी ;

(घ) कितने गांव और वहां रहने वाले कितनी संख्या के लोगों को उक्त परियोजना को अमल में लाने पर उन के निवास स्थानों से हटाना पड़ेगा और छोड़ी जाने वाली ज़मीन के लिये उनको कितना रुपया प्रतिकर के रूप में देना पड़ेगा ;

(ङ) इस परियोजना को कार्यान्वित किये जाने से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और कौन कौन सी फ़सलें पैदा की जा सकेंगी ;

(च) इस योजना के अधीन जो नहर का पानी प्राप्त होगा, वह स्थायी अर्थात् साल भर की सिंचाई वाला होगा अथवा सामयिक ; और

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया है कि गत ११ वर्षों में इस योजना द्वारा सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा हुई है और कितने बार इस क्षेत्र में प्रायः दुष्काल की स्थिति पैदा हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जलाशय पड़ताल के अतिरिक्त जांच पड़ताल का सारा काम पूरा कर लिया गया है। जलाशय पड़ताल का काम भारत की परिमाप संस्था तथा कुछ भूगोलिक जांच संस्थायें कर रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्षेत्र, जिस के पानी में डूबने की सम्भावना है :

	एकड़
खेती वाली तथा अन्य भूमि	२९,८००
बेकार तथा बंजर भूमि	३१,४००

(घ) उन गांवों की संख्या जिन के पानी में डूबने की सम्भावना है: ५८।

लोगों की संख्या जिन्हें अन्य स्थानों पर जाना पड़ेगा: १७,५००।

क्षतिपूर्ति जिस के दिये जाने की सम्भावना है: १ करोड़ रुपया।

(ङ) लगभग २ लाख एकड़ जिस में से वास्तव में १ लाख ३० हज़ार एकड़ भूमि को सींचा जायगा। मुख्य फ़सल चावल की होगी। आशा है कि ६० प्रतिशत लोड के आधार पर ९,००० से १५,००० किलोवाट

तक बिजली पैदा की जायगी । ये आंकड़े अस्थायी हैं ।

(च) स्थायी ।

(छ) जी, हां । पिछले १२ वर्ष में, १९४०, १९४१, १९४३ और १९४८ में वर्षा कम होने के कारण दुष्काल की स्थिति उत्पन्न हुई ।

श्री जांगड़े : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अब तक कितना खर्च हुआ है ?

श्री हाथी : लगभग ३ लाख रुपये ।

श्री जांगड़े : क्या अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है ?

श्री हाथी : जी, अभी नहीं ।

श्री जांगड़े : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यदि यह परियोजना बहुमुखी न हो कर सिंचाई योजना के रूप में ही स्वीकार की गई तो कितना क्षेत्र इसके अधीन होगा ?

श्री हाथी : यह सिंचाई तथा बिजली दोनों के लिये है । कुल मिला कर लगभग १ लाख ३० हज़ार एकड़ भूमि सींची जायगी ।

श्री जांगड़े : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने उस खर्च का अनुमान लगाया है जो इस परियोजना के लागू होने पर होगा ?

श्री हाथी : अभी नहीं, क्योंकि ब्यौरेवार अनुमान तो अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही लगाया जायगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस की जांच पड़ताल का खर्च पूर्णतया या आंशिक रूप से किस सरकार पर डाला जायगा, क्यों कि इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ झगड़ा रहा है ?

श्री हाथी : जी हां, यह सच है कि यह खर्च मध्य प्रदेश सरकार के नाम डाला जायगा परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने अभी यह स्वीकार नहीं किया है कि यह खर्च उस के नाम डाल दिया जाय ।

श्री टी० एन० सिंह : इस समय क्या स्थिति है ?

श्री हाथी : इस समय तो केन्द्रीय सरकार यह खर्च करेगी ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अब तक जो खर्च हुआ है, उस का एक भाग तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है ?

श्री हाथी : मेरे विचार में अभी नहीं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश सरकार ने ज़िम्मेदारी लेने से नाही कर दी है ?

श्री हाथी : इस समय तो स्थिति यही है ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय किया है कि यह परियोजना प्रारम्भ करने योग्य है या छोड़ दी जानी चाहिये ?

श्री हाथी : जांच की जा रही है । इस का मतलब है कि यह इस योग्य है कि इसे प्रारम्भ किया जाय । परन्तु अन्तिम निर्णय तो तभी किया जा सकेगा जब कि इस की पड़ताल की रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर ली जाय ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में अधिकारी

*१२४१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी में सहायक राजनीतिक अधिकारियों तथा राजनीतिक अधिकारियों के रूप में काम करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये अधिकारी देश के बाक़ी भाग तथा अपने परिवारों से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, इन्हें कोई विशेष सुविधा देती है ; और

(ग) क्या इन की नियुक्ति के सम्बन्ध उपयुक्त स्थानीय व्यक्ति न मिलने पर आसाम तथा मनिपुर के जनजाति लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका: (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी, हां । इन अधिकारियों को निम्नलिखित विशेष सुविधायें दी जाती हैं:

(१) रहने को मुफ्त मकान ।

(२) जिस समय जनजाति क्षेत्रों में नियुक्त हों, इन्हें अपने वेतन का ३० प्रतिशत पूरक भत्ता दिया जाता है ; और

(३) आवश्यक खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुयें सस्ते दामों पर दी जाती हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) राजनीतिक अधिकारियों में से दो जनजाति लोगों में से हैं । एक आसाम राज्य (लुशाई पहाड़ियों के ज़िले) का और दूसरा मनिपुर राज्य की तंगखल नागा जाति का है ।

१५ सहायक राजनीतिक अधिकारियों में से ७ जनजातियों के हैं । उन में से दो संयुक्त खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों के ज़िले के हैं, दो नागा पहाड़ियों के ज़िले के, दो लुशाई पहाड़ियों के ज़िले के और एक कम्पति क्षेत्र (मिश्मी पहाड़ियां) का है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन अधिकारियों की नियुक्ति से लोक सेवा आयोग का कोई सम्बन्ध रहता है और क्या उन्हें मुक़ाबले की किसी परीक्षा में बैठना पड़ता है ?

श्री जे० एन० हजारिका : ऐसी परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । साधारणतया इन्हें नौकर रखने वाले बोर्ड में राज्यपाल के परामर्शदाता, इन क्षेत्रों का एक राजनीतिक अधिकारी और आसाम लोक सेवा आयोग का एक सदस्य रहता है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि साधारणतया प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं और यदि हां तो पिछले साल कितने प्रार्थना पत्र आये थे, और कितने लोगों को चुना गया था ?

श्री जे० एन० हजारिका : यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रार्थियों को भेंट के लिये बुलाया जाय, क्यों कि इन पदों के लिये कुछ विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है जैसे शारीरिक स्वास्थ्य उद्यम, उपक्रम की भावना, कल्पना की क्षमता तथा उपायशीलता ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं इस का तात्पर्य यह समझूं कि इन पदों के लिये प्रार्थना पत्र नहीं मांगें जाते ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बहुधा ऐसा होता है कि जहां सम्भव हो, सरकारी कर्मचारियों में से ही इन पदों के लिये लोग नियुक्त कर दिये जाते हैं । मुझे पक्की तरह मालूम नहीं । परन्तु हमारे लिये ऐसे लोगों को पाना बड़ा कठिन होता है—प्रार्थना पत्र मांगे जायें या नहीं—क्योंकि इन कठिन नौकरियों पर काम करने का कोई इच्छुक नहीं होता जो ऐसी अलग थलग जगहों पर हैं कि कई बार दो सप्ताह तक चलने के बाद आप समीपस्थ सड़क तक पहुंच पाते हैं ।

श्री सरमा: इन्हें नियुक्त कौन करता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: उत्तरपूर्वी सीमान्त एजेन्सी प्रत्यक्षत: भारत सरकार के अधीन है और वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा इसका काम होता है। प्रान्त का राज्यपाल भारत सरकार का एजेन्ट है। इसलिये वास्तव में तो राज्यपाल ही नियुक्त करने वाला प्राधिकारी है।

श्री रिशांग किशिंग: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से पढ़े लिखे पहाड़ी लोगों को नौकरी नहीं मिलती क्या सरकार भविष्य में इन नौकरियों के लिये प्रार्थनापत्र मांगने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

श्री जे० एन० हज़ारिका: बोर्ड ने जो सिफ़ारिशें की हैं उन में से एक यह भी है। इस कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ाने का विचार है और नई नौकरियों के लिये उम्मीदवारों का चुनाव करते समय जनजाति के लोगों के दावों का ध्यान रखा जायगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं एक बात कहूं ? सरकार की नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो, इन नौकरियों पर इन्हीं पहाड़ियों के लोगों को नियुक्त किया जाय। सच तो यह है कि उन की अनुपातत: संख्या बढ़ रही है। हम उसी प्रक्रिया के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सदन को यह भी बता दूं कि मैं पिछले ६ महीने से ऐसे किसी पहाड़ी सज्जन की तलाश में हूं जिसे केन्द्रीय सरकार में रखा जाय। केवल इसी बात से, कि किसी के पास कोई उपाधि है, कोई व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न :

अफ़गानिस्तान को ऋण

*१२४३. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १९४७ के बाद से अब तक अफ़गानिस्तान को कितना ऋण दिया है ?

(ख) इस ऋण में किस प्रकार की सहायता शामिल है ?

(ग) १९४७ के बाद से अफ़गानिस्तान को, और कौन सी सहायता दी गई है और दी जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). अफ़गानिस्तान सरकार को कपड़ा, चीनी तथा प्रतिदिन के काम में आने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिन का अधिकाधिक मूल्य १ करोड़ रुपये होगा, के खरीदने की सुविधा दी गई है।

(ग) अफ़गानिस्तान तथा अन्य देशों को व्यापार विशेषज्ञों की भरती, भारत में छात्रों का प्रशिक्षण तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सहायता दी गई है।

श्री दाभी : ऋणों की शर्तें क्या हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

बोर्णियो जाने वाला प्रतिनिधि मंडल

*१२४४. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि बोर्णियो भेजे जाने वाला प्रतिनिधि मंडल वहां कब भेजा जायगा ?

(ख) क्या मंडल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भी होंगे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) ज्यों ही उत्तर बोर्णियो की सरकार के साथ प्रबन्ध कर लिया जायगा।

(ख) यह ३ सदस्यों का छोटा सा प्रतिनिधि मण्डल होगा । मलाया में हमारा प्रतिनिधि इस का सदस्य होगा । अन्य दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें बस्तियां बसाने के सम्बन्ध में अनुभव हो ।

श्री दाभी: क्या भारतीयों के वहां जा कर बसने के सम्बन्ध में उत्तर बोर्णियो की सरकार के साथ कोई अन्तर्कालीन समझौता किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो स्पष्ट है कि जब तक प्रतिनिधि मण्डल वहां का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट न दे दे, कोई समझौता नहीं किया जा सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह: इस डैलीगेशन का आबजैक्ट और उद्देश्य क्या होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वहां जा कर वहां के हालात देखना और यह जानना कि हिन्दुस्तान के लोगों को वहां जा कर बसना कहां तक मुनासिब है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : यह प्रतिनिधि मण्डल वहां कैसे गया है ? हमें प्रतिनिधि-मण्डल भेजने को कहा गया था या हम मित्रता के नाते इसे भेज रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह सद्भावना मण्डल तो नहीं यद्यपि मुझे आशा है कि यह हमारी सद्भावनायें लेकर जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये पासपोर्ट

*१२४५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या पूर्वी बंगाल के उन विस्थापित लोगों के लिये पासपोर्ट चाहियें जो पासपोर्ट प्रारम्भ होने से पहले भारत आ गये हैं परन्तु जिन्हें सीमा की स्लिपें या विस्थापित व्यक्तियों के कार्ड नहीं मिले ;

(ख) क्या यह सच है कि २८ फ़रवरी १९५३ को मैमन सिंह की हजंग जनजाति के दो व्यक्तियों जयगोपाल और भवन हजंग को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन के पास पासपोर्ट नहीं थे और उन्हें गारो पहाड़ियों में रंगरा कैम्प में ले जाया गया ; और

(ग) जो लोग पासपोर्ट प्रणाली प्रारम्भ होने से बहुत पहले इन क्षेत्रों में आ गये हैं वे कैसे यह प्रमाणित कर सकते हैं कि वे भारत के ही नागरिक हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जो विस्थापित व्यक्ति १५-१०-१९५२ से पहले पूर्वी बंगाल से भारत आ गये हैं और तब से भारत में ही रह रहे हैं उन्हें भारत में रहने के लिये पासपोर्टों और प्रवेशपत्रों की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) जयगोपाल और भवन हजंग को २५ फ़रवरी, १९५२ को इस सन्देह पर गिरफ्तार कर लिया गया कि वे वैध यात्रा-परमिटों बिना ही भारत में प्रविष्ट हुये थे । जांच करने से पता चला कि भवन हजंग उस तिथि से पहले भारत आ गया था इसलिये उसे १२ मार्च, १९५३ को छोड़ दिया गया । जयगोपाल पर पासपोर्ट अधिनियम की धारा ३(३) तथा पासपोर्ट नियमों के नियम ६ के अधीन मुक़द्दमा चलाया गया । यह अभी मालूम नहीं कि उस मुक़द्दमे का क्या बना ।

(ग) १५-१०-१९५२ से पहले भारत में प्रवेश दस्तावेज़ी प्रमाणों द्वारा या विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या संसद् के सदस्य यह पहचान कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति १५ अक्तूबर से पहले भारत आ गया

था ? जयगोपाल पिछले डेढ़ साल से यहीं है ।

श्री अनिल के० चन्दा : उस पर मुकदमा चल रहा है, मैं नहीं जानता कि न्यायालय का क्या निर्णय होगा ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार का ध्यान ऐसे उदाहरणों की ओर भी दिलाया गया है कि कुछ मुसलमान कर्मचारी जो पहले भारत में काम करते थे, निजी काम से पूर्वी बंगाल गए और जब उन्होंने भारत आना चाहा तो उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिए गए ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किस सरकार ने उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिये ?

श्री नम्बियार : हमारी सरकार ने ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : या तो वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास हमारे पासपोर्ट हैं और प्रवेश पत्र उन्हें दूसरी सरकार ने दिये और या वे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और प्रवेशपत्र हमने उन्हें दिये ।

श्री नम्बियार : ये मुसलमान कलकत्ते में भारतीय काफ़ी बोर्ड के कर्मचारी थे । वे पाकिस्तान में अपने सम्बन्धियों से मिले और कुछ अन्य निजी काम करने गये । जब वे वापिस भारत आये, भारत सरकार ने उन्हें प्रवेश पत्र देने से इनकार कर दिया ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन के लिये प्रवेशपत्र देने का तो प्रश्न ही नहीं है । या तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है और तब वे वापिस आते हैं । या यदि उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाता तो उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने पड़ते हैं । मैं यह बता दूं कि ढाका में हमारे पासपोर्ट अधिकारी ने पिछले तीन चार महीनों में १ लाख चार हज़ार प्रवेशपत्रनपटाये और जारी किये । इस से सदस्यों को पता चलेगा कि हमें कितना काम करना पड़ता है । इसलिये हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ी और वे दिन रात प्रवेश पत्र देने के काम में लगे रहते हैं । इस में सन्देह नहीं कि कहीं कहीं ग़लती हो ही जाती है परन्तु पिछले तीन या चार महीनों में १ लाख ४ हज़ार प्रवेश पत्र दिया जाना बहुत बड़ा काम है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं सरकार से पूछ सकती हूं कि क्या सरकार को ऐसे लोगों की संख्या के सम्बन्ध में कुछ पता है जिनका उल्लेख इस प्रश्न में किया गया है ; जो इन क्षेत्रों में रहते हैं जो कि काफ़ी दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें रजिस्टर हुये विस्थापित माना जाय ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे पूर्व सूचना चाहिये, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आया । कोई यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि वह भारतीय नागरिक है और १५ अक्तूबर १९५२ से पहले भारत आ गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो तथ्य की बात है और या तो उन दस्तावेज़ों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है जो उस के पास हों और या विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य द्वारा ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किस दस्तावेज़ की ओर इशारा है ? मैं स्पष्टतया नहीं समझी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सच तो यह है कि इस सम्बन्ध में कोई कड़ाई नहीं की जाती । स्थानीय अधिकारियों को यह अधिकार है कि जब कोई मामूली सा भी

प्रमाण हो वे अपने स्वविवेक से उसे स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु जहां उन्हें किसी व्यक्ति पर निश्चित ही सन्देह हो वे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे या उसे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं देंगे ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का विलय

*१२४६. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नियमित रूप से यह प्रस्ताव फ्रांसीसी सरकार से कब किया था कि भारत में बाकी चार फ्रांसीसी बस्तियों को, बिना जनमत लिये ही सीधे भारत को सौंपने के सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ की जाय ?

(ख) क्या फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार या रद्द करते हुये कोई उत्तर दिया है ; यदि हां तो कब ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अक्तूबर, १९५२ में।

(ख) इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच अभी तक लिखा पढ़ी हो रही है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : हम इस सम्बन्ध में कब अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा कर सकते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, यह नहीं कहा जा सकता कि पत्रव्यवहार कब समाप्त होगा ।

पुर्तगाली बस्तियां

*१२४७. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पुर्तगाल वालों ने भारत सरकार का यह नियमित प्रस्ताव मान लिया है कि गवा, दमन और देव को भारत को प्रत्यक्षतः सौंपने के सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ की जाय ?

(ख) क्या पुर्तगाल सरकार ने, उन द्वारा भारतीयों के विरुद्ध की गई भेदभाव की नीति वाली क़ानूनी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभिन्न अभ्यावेदनों का उत्तर दिया है ?

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो भारत सरकार का इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाहियां करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अभी कोई नियमित उत्तर नहीं मिला ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) भारत सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार, शान्तिपूर्ण बातचीत से विभिन्न मामलों को तै करने के लिये जो भी सम्भव होगा करती रहेगी ।

हीराकुड बांध मंत्रणा समिति की सिफ़ारिशें

*१२४८. **पंडित लिंगराज मिश्र :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हीराकुड बांध परियोजना सम्बन्धी मंत्रणा समिति की मार्च, १९५२ की रिपोर्ट में उल्लिखित सुझावों तथा सिफ़ारिशों पर विचार किया गया तथा उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ?

(ख) क्या उस की यह सिफ़ारिश मान ली गई है कि पुरी ज़िले के लिए नहरों का प्रबन्ध करते समय, कौखाई, कुशभट्टा और भारगोव नदियों को उन के स्रोतों पर ही बन्द न कर दिया जाय ?

(ग) क्या पूना म जलधारा अनुसन्धान केन्द्र से कहा गया है कि इस सम्बन्ध में समिति के सुझाव के अनुसार आदर्श परीक्षणों द्वारा जांच की जाय ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, समिति के, सुझावों तथा सिफ़ारिशों पर विचार किया गया और परियोजना की अवस्था १ के सम्बन्ध में उन में से अधिकतर मान ली गईं सिवाय महानदी डेल्टा में सिंचाई, बिजली की लाइनों आदि को छोड़ कर, जिन के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। आजकल इस परियोजना की अवस्था १ का काम किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच हो चुकने पर ही अन्तिम निर्णय किया जायगा।

(ख) इस की जांच व्यवहारिक रूप से भी और पूना में किये जा रहे आदर्श परीक्षणों द्वारा की जा रही है।

(ग) जी हां।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस समिति को एक यह काम भी सौंपा गया था कि इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दे कि टेक्नीकल दृष्टिकोण से यह योजना सम्भव भी है या नहीं और कि समिति ने इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने से इनकार कर दिया है।

श्री हाथी : समिति का कहना है कि योजना के लिय यह उपयुक्त स्थान नहीं है, इत्यादि।

श्री मेघनाद साहा : समिति से टेक्नीकल दृष्टिकोण से इस योजना की सहायता के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने को कहा गया था और उस ने इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने से इनकार कर दिया है। क्या इस से यह मालूम नहीं होता कि सारी योजना खोखली है जैसा कि श्री रंगय्या ने १९४७ में कहा था ?

श्री हाथी : समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई थी। मेरा विचार है कि उसने यह नहीं कहा कि यह योजना साहय नहीं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस परियोजना के सहायक बांध का स्थान इस समिति की सिफ़ारिश के आधार पर छोड़ दिया गया था या कि किसी और बात के आधार पर ?

श्री हाथी : ऐसा केवल इसी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर नहीं किया गया था।

श्री मेघनाद साहा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मजूमदार समिति ने इस योजना के टेक्नीकल पहलुओं पर, इस के पक्ष में या विरुद्ध, कोई राय प्रकट करने से इनकार कर दिया था, क्या सरकार का एसा विचार है कि इसी प्रश्न पर रिपोर्ट देने के लिये एक और समिति नियुक्त की जाय क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। श्री सारंगधर दास।

कुछ माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव देने की अनुमति नहीं दे सकता जैसे कि यह कोई संकल्प हो।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने इस परियोजना पर व्यय को तीन विभिन्न प्रयोजनों सिंचाई, बिजली तथा नौवहन के लिये निर्धारित करने के सम्बन्ध में उस समिति की सिफ़ारिश मान ली है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, साधारणतया उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या कुछ

नदियों को उन के स्रोत पर ही बन्द करने का अन्तिम निर्णय करने से पहले इस सम्बन्ध में जनता की राय मालूम कर लेगी ?

श्री हाथी: यह तो टेक्नीकल पहलू है ?

श्री टी० एन० सिंह : इस समिति की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुये हीराकुड परियोजना के विभिन्न पहलुओं की अवस्थाओं के सम्बन्ध में क्या स्थिति है और क्या इस रिपोर्ट के देर से मिलने के कारण और कोई परिवर्तन करना पड़ा है ?

श्री हाथी: जिन अवस्थाओं की सिफ़ारिश की गई है वे हैं : मुख्य बांध और बिजली घर, बिजली घर के यूनिट १ और २ और बिजली ले जाने वाली कुछ लाइनें।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा सरकार ने परियोजना का व्यय विभिन्न प्रयोजनों के लिये निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया है ?

श्री हाथी : मुझे कुछ मालूम नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पूना में जलधारा अनुसंधान केन्द्र को इस माडल पर परीक्षण पूरे करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी: मैं निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकता, सम्भव है कि कुछ महीने और लग जायें।

श्री एस० सी० सामन्त: साधारणतया इसमें कितना समय लगता है ?

श्री हाथी: यह तो माडल पर परीक्षणों पर निर्भर है ।

विदेशों में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन

*१२४९. **श्री नानादास**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १९४७ के बाद से विदेशों में भारतीय फ़िल्में दिखाने के लिये प्रदर्शन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(ख) १९४७ के बाद से विदेशों में अंग्रेज़ी तथा भारतीय भाषाओं की कितनी फ़िल्में दिखाई गई हैं, प्रत्येक फ़िल्म कितने दिन तक दिखाई गई और किस देश में ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ऐसे प्रदर्शन केन्द्र तो कोई नहीं हैं परन्तु विदेशों में हमारे अधिकतर दूतावासों को सिनेमा की मशीनें तथा सरकार द्वारा बनाई गई सच्ची घटनाओं की छोटी छोटी फ़िल्में दी गई हैं जो मुफ्त दिखाने के लिये होती हैं। पूरी फ़िल्मों की कुछ प्रतियां हमारे दूतावासों द्वारा कभी कभी दिखाने के लिये प्राप्त की गई हैं। हमारे कुछ दूतावासों को समाचार-फ़िल्मों के मासिक संस्करण भी दिये जाते हैं।

वाणिज्यिक फ़िल्मों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसलिये सरकार के पास उन के विदेशों में दिखाये जाने के सम्बन्ध में कोई विस्तृत सूचना नहीं है ।

(ख) यह सूचना इकट्ठी की जा रही रही है और यथासमय लोकसभा के सदन पटल पर रख दी जायगी।

श्री नानादास: क्या यह सच है कि हमारी बहुत कम फ़िल्में विदेशों में दिखाई गईं क्योंकि हमारी फ़िल्में चित्ताकर्षक नहीं हैं और विदेशी सरकारों तथा प्रदर्शकों ने सहायता न देने का रवैया अपनाया है ?

श्री अनिल के० चन्दा: हमारी अधिकतर फ़िल्में भारतीय भाषाओं में होती हैं। भाषा की कठिनाई है और मेरे विचार में यही हमारी फ़िल्मों के विदेशों के प्रदर्शन में बड़ी बाधा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि इस मास होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में कितनी भारतीय फ़िल्में दिखाई जायेंगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह प्रश्न सूचना तथा प्रसारण मंत्री से पूछा जा सकता है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या विदेशों में हमारे दूतावासों से वहां दिखाई गई फ़िल्मों के सम्बन्ध में रिपोर्टें मिलती हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं देख रही हूं कि इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न सूना तथा प्रसारण मंत्री से पूछा गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : "सूचना तथा प्रसारण मंत्री" को बदल कर "प्रधान मंत्री" कर दिया गया है । मुझे पता चला है कि यह भूल सुधार प्रत्येक माननीय सदस्य को बता दिया गया था । इसलिये माननीय महिला सदस्य इस सम्बन्ध में सावधानी से काम लें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अधिकतर सदस्यों का विचार है कि यह उन्हें नहीं बताया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उन सबकी ग़लती है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : परन्तु सूचना तथा प्रसारण मंत्री शर्मीली लड़की की तरह यहां चुपचाप क्यों बैठे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कैलटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा तेल साफ करने का कारखाना

*१२५०. **डा० अमीन :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कैलटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड के साथ, पूर्वी तट पर तेल साफ करने का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के साथ कोई समझौता किया गया है और यदि हां तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस कारखाने के तैयार माल के सम्बन्ध में मूल्य सम्बन्धी भावी नीति क्या होगी ;

(घ) सरकार का इस कम्पनी को तेल साफ करने का कारखाना खोलने में किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ; और

(ङ) सरकार इस कारखाने के काम पर किस प्रकार का नियंत्रण रख सकेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । एक विवरण जिस में इस समझौत की शर्तें दी हुई हैं सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ग) कैलटैक्स वालों को यह अनुमति होगी कि वे समय समय पर इस कारखाने के तैयार माल के मूल्य ऐसे स्तर पर निश्चित कर सकते हैं जिस पर वे वैसे ही आयातित माल को बेचते हैं । परन्तु शर्त यह है कि वे इस सिद्धान्त के अधीन किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करने से पहले सरकार से विचार विमर्श कर लें ।

(घ) सरकार ने यह मान लिया है कि वह गोदी तथा बन्दरगाह की उचित सुविधायें, भवन बनाने का सामान, इस कारखाने के माल के लिये रेल यातायात, पानी तथा बिजली उपयुक्त मात्रा तथा दर पर और टेलीफ़ोन की उपयुक्त सुविधायें देगी । सरकार ने यह भी मान लिया है कि वह इस कारखाने के चलाने के लिये आव-

श्यक विदेशी मुद्रा देगी, यद्यपि कारखाने के निर्माण के दौरान में कैलटैक्स वाले सरकार से विदेशी मुद्रा नहीं मांगेंगे ।

(ङ) यह कारखाना ग़ैरसरकारी तौर पर पूंजीपति बनायेंगे और इस पर उन्हीं का स्वामित्व होगा । सरकार इस समझौते की शर्तों के अधीन इस पर उतना ही नियंत्रण रखेगी जितना कि अन्य उद्योगों पर रखा जाता है । परन्तु सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि इस सम्बन्ध में कैलटैक्स वालों ने जो आश्वासन दिये हैं, वे उन के अनुसार कार्य करें ।

डा० अमीन: इस नई कम्पनी की निर्गमित पूंजी कितनी होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : आशा है कि यह पूंजी लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये होगी ।

डा० अमीन : इस कारखाने के कौन से अतिरिक्त उपोत्पाद होंगे जो भारत के रसायन उद्योगों को मिल सकेंगे और कितनी मात्रा में ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इन उपोत्पादों के नाम तो नहीं गिनवा सकता परन्तु इस समझौते की एक शर्त यह है कि ऐसे उपोत्पाद भारतीय उद्योगों को दिये जायें ।

डा० एस० पी० मुकर्जी: माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि मूल्यों में फेरबदल हो तो सरकार से परामर्श लिया जायगा । परन्तु अन्तिम निर्णय कौन करेगा सरकार या यह विदेशी कम्पनी ?

श्री के० सी० रेड्डी: इसे मूल्यों में फेरबदल करने के लिये सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी ।

डा० लंका सुन्दरम्: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री इस समझौते के सारे पाठ की पूरी प्रति सदन पटल पर रखेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, बात यह है कि इस समझौते की कुछ ऐसी शर्तें हैं और सरकार ने कुछ ऐसे आश्वासन दिये हैं जिन के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्राधिकारियों के साथ अभी कुछ पत्रव्यवहार तथा बातचीत की जानी है । उस से पहले अभी यह सारा समझौता सदन पटल पर रखना ठीक नहीं होगा ।

डा० लंका सुन्दरम्: क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कम्पनी विधि (संशोधन) विधेयक पर पिछले सत्र में चर्चा के समय माननीय वित्त मंत्री ने यह मान लिया था कि इन तीन समझौतों--न केवल कैलटैक्स के सम्बन्ध में बल्कि दो अन्यों के सम्बन्ध में भी--और कम से कम इन के पाठ पर चर्चा करनी आवश्यक है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ने यह नहीं कहा कि समझौते का पाठ नहीं बताया जायगा । मैं ने यह कहा कि जनहित में यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मूल उद्योग है, निदेशकों के बोर्ड में कुछ अधिकारियों को नामनिर्देशित करने का विचार करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस कम्पनी के पुनःनिर्यात व्यापार पर कोई नियंत्रण है और क्या इस समझौते में कोई ऐसी बात है जो इस कारखाने के साफ किये हुये माल के पुनःनिर्यात के विनियमन के सम्बन्ध में हो ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं अच्छी तरह समझा नहीं । किन उत्पादों का पुनःनिर्यात ?

श्री टी० एन० सिंह : उदारहण के लिये पेट्रोल या पेट्रोलियम के अन्य उत्पादों का जिन्हें वे यहां साफ करने तथा तैयार करने के बाद पुनःनिर्यात करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समझौते के अनुसार सरकार को ऐसे पुनःनिर्यात को नियंत्रित करने का कोई अधिकार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : समझौते की एक शर्त यह है कि जब तक हमारे देश को इन उत्पादों की आवश्यकता है, वे इसी देश में बेची जानी चाहियें। इस के बाद ही पुनःनिर्यात के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री के० के० बसु : भारतीय पूंजीपतियों के क्या हिस्से हैं और क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो अंग्रेज़ों को या कैलटैक्स वालों को हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ने सदन पटल पर जो विवरण रखा है, उस में इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीय निर्गमित पूंजी का २५ प्रतिशत देकर संचयी हिस्से खरीद सकते हैं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मूल्य, प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर निश्चित किये जायेंगे या कि उत्पादन लागत में कुछ उचित लाभ जोड़ कर इस आधार पर ?

श्री के० सी० रेड्डी : पेट्रोलियम की बनी वस्तुओं के मूल्य का आधार कई बातें होती हैं जैसा कि बिना साफ किये तेल का मूल्य, परिवहन का व्यय, बीमे का व्यय आदि आदि। अन्तिम मूल्य निर्धारित करते समय इन सब पहलुओं का ध्यान रखा जायगा।

श्री पुन्नूस : सदन पटल पर रखे गये विवरण से यह मालूम होता है कि उपयुक्त संख्या में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की उपयुक्त कार्यवाही करने की व्यवस्था की जायगी। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कर्मचारियों की संख्या तथा कार्यवाही की पर्याप्तता का निर्णय कौन करेगा—सरकार या कम्पनी ?

श्री के० सी० रेड्डी : निश्चय ही सरकार का भी इस में अधिकार होगा।

श्री पुन्नूस : मैं यह पूछ सकता हूं कि यह विशेष रूप से क्यों कहा गया है कि कर्मचारियों को कम्पनी चुनेगी और इस में सरकार का हाथ क्यों नहीं होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : कर्मचारी चुनने का वास्तविक काम तो उस फ़र्म पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये जो इस उद्योग का प्रबन्ध कर रही हो। परन्तु जहां तक कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध है सरकार का भी अधिकार होगा।

श्री सारंगधर दास : यदि भारत की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद उत्पाद —पेट्रोल तथा दूसरी वस्तुयें—बच जायें तो उन्हें संसार के किस भाग में बेचने की अनुमति दी जायगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : अभी यह नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कल्पनात्मक बात है।

शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी फ़िल्में

*१२५१. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकार ने शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी कितनी फ़िल्में तैयार की हैं;

(ख) उन्हें कैसे जनप्रिय बनाने का विचार है ; और

(ग) क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि शिक्षा संस्थाओं को ये फ़िल्में सस्ते दामों या सहायता देकर बेची जायें ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) फ़िल्म शाखा (डिवीज़न) ने शिक्षा तथा संस्कृति के सम्बन्ध में सच्ची घटनाओं की ९३ फ़िल्में तैयार की हैं ।

(ख) ये फ़िल्में सारे देश भर के सिनेमाओं में और ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा की चलती फिरती गाड़ियों द्वारा दिखाई जाती हैं । जिन संस्थाओं, संघों तथा व्यक्तियों के पास फ़िल्में दिखाने का प्रबन्ध हो, उन्हें इन फ़िल्मों की प्रतियां बेच दी जाती हैं या किराये पर दे दी जाती हैं । चुनी हुई फ़िल्में विदेशों में हमारे दूतावासों को भेजी जाती हैं और कई देशों में वाणिज्यिक आधार पर फ़िल्में भजने का प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) शिक्षा संस्थाओं को सस्ते दरों पर फ़िल्में देने का प्रबन्ध पहले से ही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : रियायती दर क्या है ?

डा० केसकर : डेढ़ रुपया ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या ये रियायती दर पर शिक्षा संस्थाओं को बेची जाती हैं ?

डा० केसकर : आम तौर पर फ़िल्में किराये पर दी जाती हैं, बेची नहीं जातीं ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितने समय में ये ९३ फ़िल्में तैयार की गईं ?

डा० केसकर : प्रश्न यह है कि शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी कितनी फ़िल्में तैयार की गईं । हम ने ये और बहुत सी अन्य फ़िल्में तैयार की हैं । इसी सत्र में सदन पटल पर एक विवरण रखा गया था जिस में उन सब फ़िल्मों के नाम जो तैयार की गईं और उनकी तैयारी की तिथियां दी हुई थीं ।

श्री नामधारी : क्या सरकार ऐसी फ़िल्में तैयार करने को प्रोत्साहन देगी जो लोगों को हमारे देश की परम्पराओं के अनुसार अपना नैतिक तथा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठाने की प्रेरणा दें ?

उपाध्यक्ष महोदय : उद्देश्य तो यही है ।

श्री नामधारी : यह गम्भीर प्रश्न है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की कोई ऐसी योजना है कि एलोरा और अजन्ता जैसे हमारे सांस्कृतिक स्थानों और विशेष कर दक्षिण भारत में मन्दिरों की फ़िल्में तैयार की जायं ?

श्री रघुनाथ सिंह : और बनारस भी ।

डा० केसकर : माननीय सदस्य ने सम्भवतः सूची नहीं देखी है । उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन में से कुछ पर तो कार्य हो चुका है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने समाज शिक्षा के लिये कितने फ़िल्म तैयार किये हैं ?

डा० केसकर : समाज शिक्षा के लिये कई फ़िल्म तैयार किये हैं । और ज़्यादा करने की योजना इस वक्त हमारे सामने है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि विदेशों में, विशेषकर अमरीका में हमारे दूतावास शिक्षा संस्थाओं में ये फ़िल्में दिखाने का कार्यक्रम रखते हैं जिससे कि उन लोगों को दिखाया जाय कि भारत के लोग वास्तव में कैसे होते हैं और हमारे बारे में उनका अज्ञान दूर किया जाय ?

डा० केसकर : अमरीका तथा अन्य देशों में हमारे दूतावास, हमारी फ़िल्म शाखा द्वारा तैयार की गई अधिकाधिक (सच्ची घटनाओं की) फ़िल्में दिखाने का

प्रयत्न करते हैं और मैं सदन को यह सूचना दे दूं कि कई फ़िल्में जो वहां दिखाई गई हैं, उन की बड़ी प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

साइकिलों में लगाई जाने वाली मशीन

*१२४२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यदि सरकार को ज्ञात है कि बम्बई की एक फ़र्म ने साइकिल में लगाने की एक ऐसी सस्ती मशीन का आविष्कार किया है जिसे एक साइकिल मोटर-साइकिल की भांति शीघ्रता से अनायास ही दौड़ने लगती है ;

(ख) इस मशीन के कब तक बाज़ार में आने की सम्भावना है और इस मशीन के निर्माण में प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई है ; तथा

(ग) जनसाधारण इस मशीन से शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठा सकें, इस के लिये सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं या किये जाने हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । सरकार को पता चला है कि बम्बई की एक फ़र्म इस सम्बन्ध में परीक्षण कर रही है । इस मशीन के सम्बन्ध में अभी परीक्षण किये जा रहे हैं और पता चला है कि अभी यह तैयार नहीं हुई । अभी इस फ़र्म ने सरकार से सहायता नहीं मांगी है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

क़ाबुल के शरणार्थी तथा सरकारी पेन्शनर

*१२५२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में क़ाबुल के कितने शरणार्थी तथा सरकारी पेन्शनर रहते हैं ?

(ख) किस क़रार के अधीन उन्हें भारत के खर्चे पर भारत में रहने दिया जा रहा है ?

(ग) वे कब तक भारत में रहते रहेंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) इस समय भारत में २७ अफ़गान शरणार्थी हैं, जिन में से २२ को सरकार की ओर से गुज़ारे का भत्ता दिया जाता है ।

(ख) पड़ौसी मित्र सरकार के प्रति भारत के अन्तर्राष्ट्रीय आभारों से सम्बद्ध राज्य-कारणों से ।

(ग) जीवन पर्यन्त या उस समय तक जब कि वे भारत छोड़ दें ।

कूटनीतिक प्रतिनिधि

८७८. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के अन्त में विदेशों में प्रत्येक देश में भारत सरकार की ओर से दूतावासों में, राजदूतों, उच्चायुक्तों, आमात्यों, महावाणिज्य दूतों तथा आयुक्तों के रूप में काम करने वालों की संख्या कितनी थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : एक विवरण साथ लगाया जा रहा है जिस में यह सूचना दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४२]**

सीमा की घटनायें

९७९. **श्री भीखाभाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तानी पुलिस ने १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारतीय सीमाओं पर कुल कितनी घटनायें कीं ;

(ख) पाकिस्तानी सेना ने कुल कितने व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया ;

(ग) कुल कितने व्यक्ति घायल हुये ; और

(घ) पाकिस्तानियों ने निजी रूप से, जैसे डाकुओं ने कुल कितने व्यक्तियों को गोली से मार डाला तथा घायल किया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जो सूचना उपलब्ध है, उस के अनुसार १९५१ तथा १९५२ में भारत पाकिस्तान सीमाओं पर क्रमानुसार २४१ तथा ३१९ घटनायें हुईं जिन में पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ था। यह ठीक ठीक मालूम नहीं कि इन में पाकिस्तानी पुलिस के कितने व्यक्तियों का हाथ था परन्तु सूचना मांगी गई है।

(ख) से (घ). सम्बद्ध राज्यों की सरकारों से सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर यह सदन पटल पर रख दी जायगी।

कपड़ा जांच समिति

९८०. **श्री बहादुर सिंह**
सरदार हुक्म सिंह :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा पिछले नवम्बर में नियुक्त की गई कपड़ा जांच समिति ने अब तक अपनी कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है ?

(ख) अन्तिम रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) आशा थी कि समिति इस वर्ष जुलाई-अगस्त में अपनी रिपोर्ट दे देगी। अब मुझे पता चला है कि इस में कुछ और समय लगेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

९८१. **डा० अमीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५० तथा १९५२ में विदेशों में तथा १९५१ में भारत में हुये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर कुल कितना रुपया खर्च किया ;

(ख) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में भारत तथा विदेशों में हुये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किन किन स्थानों पर हुये और उन के नाम क्या थे ; और

(ग) १९५० तथा १९५२ में विदेशों में तथा १९५१ में भारत में हुये प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक वैदेशिक कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, सूचना सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४३]**

दूसरे मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी।

खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद

९८२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय ने १९५२-५३ में तथा अब तक, जो आंकड़े उपलब्ध हों, उन के अनुसार, अन्य मंत्रालयों के लिये अलग अलग कितनी मात्रा में खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद खरीदे ;

(ख) कुल सामान का मूल्य, प्रत्येक मंत्रालय के लिये खरीदे गये सामान के मूल्य सहित कितना था ; और

(ग) उन फ़र्मों या संघों के नाम जिन से यह सामान ख़रीदा गया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). दो विवरण, जिन में यह सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४४]**

विवरण १ में खादी तथा ग्रामीण उद्योगों जैसे करघे के बने कपड़े का ब्यौरा है, जो कि ख़रीदा गया। विवरण २ में देश में बनी अन्य कुटीर उद्योगों की वस्तुओं जो कि ख़रीदी गई का ब्यौरा है। आंकड़े १ अप्रैल १९५२ से ३१ जनवरी, १९५३ तक की कालावधि के लिये हैं। आंकड़े इसी तिथि तक के लिये उपलब्ध थे।

कपड़ा उद्योग

९८३. श्री जी० पी० सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५० के बाद कितने कपड़ा उद्योग प्रारम्भ किये गये ;

(ख) इस देश के कपड़ा उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ग) देश के विभिन्न प्रान्तों में कपड़ा मिलों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) इस में कुल कितने मज़दूर काम करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूती कपड़े की २७ मिलें।

(ख) लगभग १०५ करोड़ रुपये।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(घ) लगभग ७५०,००० ।

विवरण

राज्य	मिलों की संख्या
बम्बई :	
(१) अहमदाबाद शहर	६७
(२) बम्बई शहर	६३
(३) बम्बई का बाक़ी क्षेत्र	५०
सौराष्ट्र	११
कच्छ	१
मध्यभारत	१६
भोपाल	१
अजमेर	४
राजस्थान	७
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ	१
पंजाब	३
दिल्ली	३
उत्तर प्रदेश	२४
बिहार	२
पश्चिमी बंगाल	२४
उड़ीसा	१
मध्य प्रदेश	११
हैदराबाद	६
मद्रास	८५
मैसूर	८
केरल	९

इस्पात का आयात तथा उत्पादन

९८४. श्री जी० पी० सिन्हा : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में बाहर से कितने टन इस्पात भारत में मंगाया गया और उस का मूल्य कितना था ?

(ख) भारत में लोहा तथा इस्पात बनाने वाली कितनी कम्पनियां थीं और देश में बना इस्पात देश की कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी करता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) १९५२ में १,९६,२६२ टन इस्पात बाहर से मंगाया गया जिस का मूल्य लगभग २०८२ लाख रुपये था ।

(ख) भारत में लोहा तथा इस्पात बनाने वाली तीन कम्पनियां हैं। कुल उत्पादन कुल अनुमानित मांग का लगभग ४७ प्रतिशत होता है ।

उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी में स्कूल

९८५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी में सरकार, निजी तथा अन्य धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या है और भाषा में उन की पाठ्य पुस्तकें किस लिपि में लिखी होती हैं; और

(ग) उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के कितने छात्रों को मैट्रिकूलेशन के बाद पढ़ने के लिये सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां मिलती हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) स्कूलों की संख्या इस प्रकार है :—

लोअर	१३१
मिडिल	६
हायर	१

ग़ैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले सभी स्कूलों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ।

(ख) आसामी, जहां यह समझी जाती है, शिक्षा का माध्यम है। दूसरे प्रारम्भिक स्कूलों में, यदि अध्यापक मिल सकते हों, तो जनजातियों की भाषा प्रयोग में लाई जाती है। पाठ्य पुस्तकें रोमन या आसामी लिपि में होती हैं क्यों कि जनजातियों की भाषाओं की अपनी कोई लिपि नहीं है । तिब्बत भाषा भाषी क्षेत्र में तिब्बती लिपि प्रयोग में लाई जाती है ।

(ग) उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के दो ही छात्र हैं जिन्होंने मैट्रिकूलेशन परीक्षा पास कर ली है और आगे पढ़ रहे हैं। इन दोनों को सरकारी छात्र वृत्तियां मिल रही हैं ।

सीमा घटनायें

९८६. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में १५ अगस्त १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९५२ तक प्रत्येक वर्ष कितनी सीमा घटनायें हुईं ।

(ख) सरकार ने पूर्वी बंगाल सरकार को फ़ौरन ही संयुक्त जांच करने, अपहृत भारतीयों को छोड़ने तथा पूर्वी बंगाल पुलिस के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये कितनी बार लिखा है और उस का क्या फल हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) १९४७ में कोई घटनायें नहीं हुईं । १९४८ से १९५२ तक पांच वर्षों में क्रमानुसार, ३६, १७, १४८, ९८ तथा ९१ घटनायें हुईं ।

(ख) पूर्वी बंगाल सरकार के साथ लगभग सभी घटनाओं के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की गई । लगभग ३६ घटनाओं के सम्बन्ध में संयुक्त जांच की गई । सीमा पर अपहरण तथा पशुओं की चोरी सम्बन्धी कई झगड़े तै किये गये ।

जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान में नजरबन्द नागरिक

९८७. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** :(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बन्दी विनिमय के समय जम्मू तथा

काश्मीर के कितने नागरिक पाकिस्तान से आये थे ?

(ख) कितने अभी तक पाकिस्तान में नज़र बन्द हैं ?

(ग) क्या हाल ही में डाक्टर ग्राहम तथा भारत व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बातचीत में इस प्रश्न के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी ?

(घ) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हुये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

दूतावास के कर्मचारियों द्वारा योरोपीय भाषाओं तथा हिन्दी का ज्ञान

९८८. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विदेशों में हमारे दूतावासों के कर्मचारी कई योरोपीय भाषायें जानते हैं ?

(ख) क्या हमारे सभी प्रतिनिधि तथा कर्मचारी भली प्रकार हिन्दी जानते हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन से कहा गया है कि जल्दी ही यह भाषा सीख लें ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) विदेशों में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों को इस बात का प्रोत्साहन दिया जाता है कि जिस देश में वे नियुक्त हों, वहां की भाषा सीख लें । भारतीय देशिक सेवा में भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों की सेवा की एक शर्त यह है कि उन्हें अनिवार्य रूप से एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ती है और उन्हें अन्य भाषायें सीखने का प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(ख) विदेशों में नियुक्त हमारे अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से लगभग ७० प्रतिशत को हिन्दी का कम से कम इतना ज्ञान तो है कि उन का काम चल जाता है ।

(ग) भारतीय वैदेशिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये यह आवश्यक है कि अपने पद पर पक्का किये जाने से पहले वे हिन्दी की एक विभागीय परीक्षा पास करें ।

लंदन में भारतीय दूतावास के कर्मचारी

९८९. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लंदन में भारतीय दूतावास में क्रम से भारतीय एवं अभारतीय कितने स्त्री पुरुष वेतन-प्राप्त कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं ?

(ख) सन् १९५२ में इस दूतावास पर कुल कितना व्यय किया गया तथा वेतन के रूप में कितना रुपया कर्मचारियों को दिया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): लंदन में भारत के उचायुक्त के कार्यालय में कुल १२२१ कर्मचारी हैं जिन में से ५६४ भारतीय —४९४ पुरुष तथा ७० स्त्रियां—कर्मचारी हैं । ६५७ अभारतीय कर्मचारी हैं, जिन में ३७२ पुरुष तथा २८५ स्त्रियां हैं ।

(ख) लगभग ९७५,८७६ पौंड (१,३०,११,६८० रुपये) जिस में से लगभग ६७०,९८८ पौंड (८९,४६,५०६ रुपये) वेतनों पर खर्च हुये ।

पावर अलकोहल

९९०. **सरदार अकरपुरी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में पावर अलकोहल बनाने के कितने संयंत्र हैं, उन में कितना

पावर अलकोहल तैयार हो सकता है और विभिन्न राज्यों में वे कहां पर हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में ये संयंत्र कितने दिन चले और इन्होंने कितना माल तैयार किया ;

(ग) प्रत्येक कारखाने की, उस की उत्पादन सामर्थ्य के सम्बन्ध में संगत अनुपात की प्रतिशतता के साथ, कितना शीरा दिया गया ; और

(घ) इन कारखानों को पावर अलकोहल बेचने का कोटा बांटने में किस सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है क्यों कि पावर अलकोहल बनाने के लिये शराब के कारखानों को शीरा देना राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। शीरा, प्रत्येक कारखाने की मांग के अनुसार, इस बात को ध्यान में रख कर दिया जाता है कि कितना शीरा उपलब्ध है और इस कारखाने को पीने की शराब तथा औद्योगिक अलकोहल बनाने के लिये कितने शीरे की आवश्यकता है।

(घ) शीरा, साधारणतया निम्न आधार पर बांटा जाता है :

(१) शराब के कारखानों की उत्पादन सामर्थ्य।

(२) विभिन्न मिश्रण केन्द्रों पर पावर अलकोहल की मांग,

(३) शराब के कारखानों और इन केन्द्रों का फासला ; और

(४) सड़क या रेल द्वारा परिवहन की सुविधायें,

निराश्रित भारतीयों का प्रत्यर्पण

९९१. श्री के० सी० सोधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५२-५३ में विदेशों से कितने निराश्रित भारतीय वापिस भारत भेजे गये।

(ख) ऐसे कितने भारतीय किन किन देशों से भारत भेजे गये; और

(ग) उन पर कुल कितना खर्च हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५२,५३ में विदेशों से भारत वापिस भेजे गये भारतीयों की कुल संख्या ३०४ है।

(ख)

ऐसे भारतीयों की संख्या	उस देश का नाम जहां से व भेजे गये
७	अदन
१	अफगानिस्तान
१	अर्जेन्टीना
१०	बहरिन
२४०	वर्मा
१५	लंका
१	क्युबा
१	जर्मनी
१	इण्डोनेशिया
[illegible]	ईरान
४	ईराक
२	जापान
१	स्विटजरलैंड
१५	थाईलैंड
१	संयुक्त राज्य अमरिका।

(ग) २०,८३२ ८४ रुपय।

जापानी कपड़े का आयात तथा बिक्री

९९२. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लोक लेखा समिति की जापानी कपड़े का आयात तथा बिक्री सम्बन्धी चौथी रिपोर्ट, जो फरवरी, १९५३ में संसद् के सामने प्रस्तुत की गई, में दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

राजदूत के हिन्दी में लिखे प्रमाणपत्र

९९३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कितने राजदूतों ने अब तक अपने प्रमाण पत्र हिन्दी में पेश किये, तथा कितनों ने अपने प्रथम भाषण हिन्दी में दिये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) प्रमाण पत्र हिन्दी में लिखे जाने के प्रश्न पर मुस्तैदी से विचार किया जा रहा है : प्रमाण पत्र पेश किये जाने के समय हमारे कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने अपने भाषण हिन्दी में दिये । इस को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

अंक ३

संख्या ९

बृहस्पतिवार

९ अप्रैल, १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदन का कार्यक्रम—बैठक का समय [पृष्ठ भाग ३०९५, ३०९६—३०९८]

अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग ३०९५—३०९६]

सदन पटल पर रखे गये पत्र— [पृष्ठ भाग ३०९८]

रक्षा सेवाओं के १९४९-५० वर्ष के विनियोजन लेखे [पृष्ठ भाग ३०९८]

रक्षा सेवाओं के १९४९-५० वर्ष के विनियोजन लेखों का व्यापारिक परिशिष्ट और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग ३०९८]

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवाएं, १९५१ [पृष्ठ भाग ३०९८]

समितियों के लिए निर्वाचन [पृष्ठ भाग ३०९८—३०९९]

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति [पृष्ठ भाग ३०९८]

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति [पृष्ठ भाग ३०९९]

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग ३०९९—३१६२]

288 PSD.

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ९ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

सदन का कार्यक्रम

बैठक का समय

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५३ से सदन की बैठक ८-३० म० पू० से १-१५ म० प० तक समवेत हुआ करेगी। कार्यालय के घंटे बाद में बुलेटिन में बता दिए जाएंगे।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बिशप रिचर्डसन से यह पत्र मिला है कि अपनी डायोसीज़ में कार्याधिक्य के कारण वह बुधवार, ११ फरवरी, १९५३ को आरम्भ हुए सदन के सत्र की बैठकों में उपस्थित न हो सकेंगे। वह ५७ दिन से निरंतर अनुपस्थित हैं और पहले दो बार छुट्टी ले चुके हैं। क्या सदन उनको अनुपस्थिति की अनुमति देना चाहता है ?

अनुमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे से मैं चेष्टा करूंगा कि अनुपस्थिति के कारण क्रम-पत्र पर दे दिए जाएं।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं श्री रिचर्डसन के विषय में एक बात और बता दूं कि माननीय सदस्य यह नहीं समझते कि यह दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ही बात नहीं है, साथ ही वह अंडमान के ऐसे भाग में रहते हैं, जहां से यहां आ सकना सरल नहीं है—हफ्तों स्टीमर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। थोड़ी सी गलती हमारी भी है कि हम अंडमान से वायु या समुद्र द्वारा यात्रा का समुचित प्रबंध नहीं कर सके हैं।

सदन का कार्यक्रम

बैठक का समय

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान् आपने कृपापूर्वक अगले मंगलवार से नये समय की सूचना दे दी है। पर मेरा निवेदन है कि पांच घंटे से कम काम करने पर विद्यमान काम को निपटाना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो पहले से ही मुश्किल है। आपने पांच घंटे से कम समय घोषित किया है, पर पांच घंटे तो कम से कम है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

छः घंटे कर दिए जाएं, तो और भी अच्छा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को यही याद दिलाऊंगा कि पिछली बार हम सप्ताह में दो तीन बार बैठा करते थे। माननीय सदस्यों से ८–३० बजे से पहले आने के लिए कहना मुश्किल होगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्यों नहीं श्रीमान् ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो सदन के हाथ में हूं यदि सभी ८–३० के स्थान में ८—१५ पर आना ठीक समझें....

कई माननीय सदस्य : ८—१५

उपाध्यक्ष महोदय : तो सदन १४ तारीख से ८–१५ म० पू० से १–१५ म० प० तक बैठा करेगा।

श्री सारंगधर दास : (ढेंकनाल–पश्चिम कटक): समय इसी प्रकार बने रहने के पक्ष में भी बहुत लोग हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बसीरहाट) ऐसा ही चलने दें।

एक माननीय सदस्य : यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : गर्मी बढ़ जाने के कारण सदस्यों ने सबेरे की बैठक को मांग की थी। क्या मैं इस पर मत ले लूं ? यह परिवर्तन न चाहने वाले सदस्य कृपया खड़े हो जाएं।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह दलगत प्रश्न नहीं है। आप कोई भी निश्चय कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : ८-१५ से १-१५ के समय के पक्ष वाले सदस्य कृपया खड़े हो जाएं।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : १४ अप्रैल से बैठक का समय ८-१५ से १-१५ तक रहेगा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखना चाहता हूं।

(१) रक्षा सेवाओं का १९४९-५० वर्ष के विनियोजन लेखे। **[पुस्तकालय में रखे गए, देखिये संख्या ४ और १ (९४)]**

(२) रक्षा सेवाओं के ९९४९-५० वर्ष के विनियोजन लेखों का व्यापारिक परिशिष्ट और तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखे गए, देखिये संख्या ४ ओ १ (९६)]**

(३) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवाएं, १९५१ **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या ४ ओ १ (९५)]**

समितियों के लिए निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के नामनिर्देशन के लिए निश्चित समय तक ग्यारह सदस्यों के नाम आए जिस में से बाद में सात सदस्यों ने नाम वापस ले लिए। अतः निम्न चार सदस्य चार ही स्थान होने के कारण

विधिवत निर्वाचित घोषित किए जाते हैं :

(१) श्री मथुरा प्रसाद मिश्र।

(२) श्री दिगम्बर सिंह,

(३) श्री व्यंकटराव शिराजी राव पवार, तथा

(४) डा० मानिक चंद जाटव-वीर

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन संपर्क समिति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन संपर्क समिति का निर्वाचन भरती के कमरा नं० २१ में होकर पहली मंजिल के समिति कक्ष ६२ में १० अप्रैल, १९५३ को १-३० म० प० से ४-० म० प० के बीच संपन्न होगा।

खादी तथा अन्य हथ करघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन खादी विधेयक को लेगा। प्रक्रिया नियम २५७ के अनुसार विवाद लंबा हो जाने पर अध्यक्ष उसकी समाप्ति का समय निश्चित कर सकते हैं। इस विधेयक पर ४ १/४ घंटे बिताए जा चुके हैं। और पूरी पूरी चर्चा हो चुकी है अब हम ३-१० पर शरू कर रहे हैं, अतः विचार प्रस्ताव पर विवाद ५-१५ तक समाप्त हो जाना चाहिए और फिर खंडशः विवाद होने के बाद आज इस विधेयक को समाप्त कर देना चाहिए। अतः अब माननीय सदस्य पूर्वकथित बातों को दुहराते हुए १० मिनट में अपनी बात कह दें और इस प्रकार ५-१५ तक पहली अवस्था पार कर के ६ बजे तक तृतीय वाचन भी समाप्त हो जाए। मैं अब दोनों ओर से लोगों को बुलाऊंगा और उन प्रांतों का विशेष ध्यान रखूंगा, जिन के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर नहीं मिला है।

श्री एच० एन० मखर्जी : (कलकत्ता उत्तर पूर्व) श्रीमान्, और वित्त-विधेयक क्या आज न लिया जा सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी पता नहीं कि खादी विधेयक में कितना समय लगेगा। शायद वित्त विधेयक आज न लिया जा सके। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में निश्चित नहीं होना चाहिए कि उसे कब लिया जाए। और फिर इस शनिवार के बारें में भी निश्चय करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्गों के नेताओं की बैठक में यह निश्चित हुआ था कि वित्त विधेयक में चार दिन लगेंगे। आज का दिन खादी विधेयक ले लेगा, कल असरकारी दिन है, ११ और १२ को बैठक नहीं है और १३ की छुट्टी है। वित्त विधेयक के लिए आज समय नहीं है, उसे १४ को ही लिया जा सकेगा। पर यह विधेयक तृतीय वाचन समेत आज समाप्त हो जाना चाहिए।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : महाशय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं (**अन्तर्बाधा**) शायद मैं बोलता भी नहीं, लेकिन एक मेरे सम्मानित कांग्रेसी मित्र है, कांग्रेस के मेम्बर हैं बड़े ऊंचे स्थान पर हैं उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं खादी पर ज़रूर बोलूं और

[डा० एन० बी० खरे]

इसलिय मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन पर सब तरह से कांव २ की वर्षा होने लगेगी ....

एक माननीय सदस्य : नाम बता दीजिए ।

डा० एन० बी० खरे : आप मुझे उसके लिए मजबूर नहीं कर सकते । इसमें दो चीजें हैं एक तो करघा उद्योग है और दूसरी खादी है । मैं करघा उद्योग का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि करघा उद्योग लाखों लोगों को पेट पालने का काम देता है और इस उद्योग को जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए यह मेरी राय और मत है लेकिन मेरे दिल में एक शंका है कि इस बिल के द्वारा करघा उद्योग के ऊपर कोई खास अच्छा असर नहीं पड़ रहा है । मैं इस राय से जो जाहिर की गयी पूर्ण सहमत हूं कि करघा उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके लिए हमें बुनकरों को सस्ता और बारीक सूत सस्ते और मुनासिब दामों पर मुहैया करना चाहिए । और भी कई चीजें इस दिशा में की जा सकती हैं, और मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बिल में जो चीज है वह जरा अजीब सी मालूम होती हैं और वह चीज मैं आपको बतलाऊं कि वह है कि जो मिल का बना कपड़ा है, उसके ऊपर एक पैसा प्रति गज के हिसाब से कर लगाकर इस तरह प्राप्त की हुई रकम से करघा उद्योग की मदद पहुंचाना यह चीज मुझे कुछ अजीब सी लगी । कारण कि अगर मिल के कपड़े का मूल्य बढ़ गया तो पैसा तो ज्यादा पैदा हो जायगा, लेकिन जिस परिमाण में कीमत बढ़ जायगी, उसी परिमाण में कपड़ा महंगा होने के कारण कपड़े का बाजार भी सुकड़ जायगा, इसलिए इससे जो हमारी मंशा है वह पूरी नहीं हो पायेगी, ऐसा मेरा कहना है ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

अब मैं खादी पर आता हूं । खादी का मतलब यह है कि हाथ से कती और हाथ से बुनी हुई चीज खादी का जन्म, उसका विकास और उसका विनाश यह सारा इतिहास मेरे आंखों के सामने तो है खादी की शुरुआत तो सन् १९२० में हुई और सन् २२ में यह प्रचलन में आई जब पूज्य बापू को ६ साल की कड़ी सजा हुई तो उन्होंने देशवासियों को यह सन्देश दिया था कि भाइयो और बहिनो सब खादी पहनो और बहिनों को चरखा और तकली चलाने का गांधी जी ने संदेश दिया । उनका संदेश किसी अंश तक जनता ने माना, और किसी अंश तक नहीं माना लेकिन ताहम कांग्रेस में खादी का प्रचार हुआ और लोगों ने खादी को धारण किया और जिन लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना थी उन लोगों ने खादी पहिनी और खादी यद्यपि दूसरे कपड़े के मुकाबले में खराब और मंहगी पड़ती थी, तो भी लोगों ने खादी को देशभक्ति के नाते पहिना और तब स्थिति यह थी कि खादी एक देशभक्त की वर्दी थी लेकिन अब आज स्थिति बदल गयी है, अब खादी देशभक्ति की वर्दी नहीं रही है, अब खादी आज के दिन बहुत से ऐबों का जामा हो गयी है **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री ए० आर० शास्त्री : यह अच्छा नहीं है ।

डा० एन० बी० खरे : मुझे अधिकार है कि मैं जो ठीक समझू उसको हाउस के सामने रक्खू आप उसको मानें, या न मानें इसका आपको अधिकार अवश्य है । अब यह जो खादी है यह मानसिक दासता और ढोंग-बाजी का जामा हो गयी है और उसको वही लोग पहिनते हैं जो कांग्रस के मेम्बर्स हैं और जिनको सरकार की इच्छा को पूरा करना और उन्हें खुश रखना होता है, आज जनता आज खादी को नहीं पहनती यह बात साफ है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति न होती तो फिर इस तरह का बिल ही आप यहां पर नहीं लाते ।

श्री ए० आर० शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि...

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दें । उनको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है बाद में उत्तर दे दिया जायगा । हमें धर्य रखना चाहिए और कटु आलोचना भी सुननी चाहिए ।

श्री ए० आर० शास्त्री : मैं जो आपसे प्रार्थना करना चाहता था वह यह है कि मैं देखता हूं कि आप भी खादी पहिने बैठे हैं और खादी के जामे को ढोंग बताना मैं समझता हूं बड़ा भारी आक्षेप है और अनुचित एसपरशन है और इस तरह के शब्द प्रयुक्त नहीं होने चाहिएं जब कि स्वयं अध्यक्ष महोदय उसी जामे में बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । यदि कोई सदस्य सदन के बहुमत को व्यर्थ जंचने वाली कोई बात बढ़ा-चढ़ा कर कहता है, तो हमें अधीर न होना चाहिए, बल्कि यह तो उसी को सोचना चाहिए कि लोग उसकी बात की कद्र कैसे करेंगे ।

डा० एन० बी० खरे : हजूर जब मैं अपना चित्त एकाग्र कर लेता हूं और आंख मींच कर खादी के बारे में चिन्तन करता हूं तो मेरे सामने खादी की एक मूर्ति अवतीर्ण होती है और वह मूर्त्ति कैसी होती है, टोपी तिरछी और नज़र तिरछी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यहां हम खादी के आर्थिक पक्ष पर विचार कर रहे हैं, राजनीतिक पक्ष पर नहीं । विधेयक का लक्ष्य राजनीतिक नहीं बल्कि देश के जन साधारण को अधिकाधिक रोजगार देना है । उसी दृष्टि से आलोचना की जा सकती है । इसे राजनीतिक दलदल में खींचना उचित नहीं है ।

डा० एन० बी० खरे : मेरा यह कहना है कि कल या परसों जब मंत्री महोदय ने इस विधेयक को हाउस के सामने रखा था तो उस समय यह बात साफ कर दी थी कि इस बिल में कोई पोलिटीकल बू नहीं है ।

मेरा उनके कहने में विश्वास नहीं है इस वास्ते मेरा यह कहना है कि मुझे इस बिल में पोलिटिकल बू आती है, इसके लिए मैं क्या करूं ? मुझे यह बात मंजूर है कि इसमें पोलिटिकल बू नहीं आनी चाहिए लेकिन वह जरूर आती है । जैसी आपकी राय है इसमें पोलिटिकल बू नहीं आनी चाहिये इसे मैं मानता हूं, इसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है पर आती ही है तो क्या किया जाय ?

जहां तक खादी का सवाल है, वह आर्थिक समस्या तो हो ही नहीं सकती । और कोई आर्थिक सवाल होता तो शायद लाभदायक हो सकता था लेकिन जहां तक खादी का प्रश्न है वह आर्थिक सवाल नहीं बन सकता क्योंकि यह तो बिल्कुल फेल

[डा० एन० बी० खरे]

हो गया है ! यह आप सब जानते हैं। और शायद जानते हुए भी आपकी मंशा है कि इसको मौका दिया जाय। मैं कहता हूं कि इसमें पालिटिकल वाद कैसे है। आपके इस सैस से जो पैसा वसूल होगा उसको किसी अंश में आप खादी के लिए देंगे, यानी चर्खा संघ के हवाले करेंगे। अब आप देखिये कि चर्खा संघ किस संस्था का अंग है ? कांग्रेस का ! अगर चर्खा संघ को मिल गया तो कांग्रेस को मिल गया। क्या इस में पोलिटिकल बात नहीं है ? हमारे किसान से पैसा ले कर एक पार्टी का भला होता है इस को आप ध्यान में रखिये। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

इसके बाद क्या है ? आप जानते हैं कि खादी चली जा रही है। खादी और हाथ कर्घा के व्यवसाय में विरोध है। असल में आप दोनों को मदद पहुंचाते हैं यह बिल पास कर के। यह कैसी अजीब सी बात है यह मेरे ध्यान में नहीं आती। जो लोग खादी पसन्द करते हैं वह हाथ कर्घे को पसन्द नहीं करते। यह वही लोग हैं जो ऊंचे स्तर के हैं और जो पोलिटिकल मतलब से उसको पहिनते हैं। उनकी सहूलियत के लिये गरीब लोगों का और निम्न श्रेणी का, जो कि मिल का कपड़ा पहिनते हैं, कपड़ा क्यों मंहगा किया जाय ? जो लोग किसी भी कीमत पर खादी ले कर पहिन सकते हैं उन के लिये क्यों गरीबों पर यह सैस लगाया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसीलिये इस बिल से मेरा विरोध ह।

दूसरी बात यह है कि इस से समाज में तीस वर्ष से जो वृत्ति पैदा हो गई है वह वृत्ति भी निन्दनीय ह, एसा मेरा कहना है। वह वृत्ति अब नहीं होनी चाहिये। वह वृत्ति कैसे हो गई ? मेरा यह कहना है कि खादी ने मानसिक दास्ता की वृत्ति इस देश में फैलाई, यह भी कारण है कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह दासता की वृत्ति कैसे फैली यह मैं आपको बताता हूं :

नित्यं चरखा तकली शिक्षा, सत्यमहिंसा विहिता दीक्षा। लुंगी वसनम् कन्था शयनम्, दुग्ध सेवनम् कूर्च वर्द्धनम्

मा कुरु यत्नम् भज स्वराज्यम्, वाइसरायम भज स्वराज्यम्।

यह वृत्ति खादी ने पैदा कर दी है। मेरा इस वृत्ति से विरोध हैं और इस लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि खादी का कोई लाभ रहा नहीं, और यह खत्म हो गई। पूज्य बापू ने अब यह शून्य हो गया ऐसा महसूस किया था और अपने ख्यालात का उन्होंने अक्तूबर १९४७ की अपनी एक प्रार्थना सभा में इजहार भी किया था। ऐसा होते हुए भी इस का जन्म हो गया, विकास हो गया और विनाश भी होने जा रहा है, तब भी आप इसमें आर्टिफिशल लाइफ डालना चाहते हैं, उस को मरने दीजिये, खादी अब जीवित कहां है ? अब स्पिनिंग में जीवन नहीं रहा है..... आप इस को स्पिनिंग कहते हैं, मैं सिनिंग कहता हूं, पूज्य बापू जी की वर्षी आती है, उस में हमारे मुख्तलिफ मेम्बरान, मिनिस्टरान आधे घंटे के लिये सूत कात कर के अपना दर्शन करते हैं और अपनी ही हंसी उड़ाते हैं। मुझे इस को देख कर दुःख होता है हालांकि मैं ऐसे विचारों का और आप के पक्ष का नहीं हूं, लेकिन लोग इस बात की खिल्ली उड़ायें, इस से मेरे दिल को बहुत दुःख होता है, आप चाहे इस बात को मानिये या न मानिये। इस दुःख को बढ़ाने के लिये आप

क्यों इस बिल को प्रस्तुत करते हैं ? इस को खत्म कर दीजिये । मेरी आप से इन शब्दों में प्रार्थना है कि जन गण मन दुःखदायक जप है यह बिल पास न कीजिये । मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं हालांकि यह मेरा दुर्भाग्य है कि यह मेरी प्रार्थना वैसी होगी जैसे कि अरण्य रुदन होता है । किसी कवि ने कहा है :

अरण्यरुदितम् कृतम् शवशरीरसुदेवेतितम्
धृतोन्धमुख दर्पणो यद्बुधोजनः सेवितः ।

इस लिय मैं यहां पर यदि कुछ कहूं तो वह अरण्य रुदन ही होगा, मेरी बात मानी नहीं जायगी । इस की वजह यह है कि देखता हूं कि शुभ्र और शुद्ध खादी पहिने हुए लोग बैठे हुए हैं और कई सदस्य तो मुझ ऐसे लगते हैं जैसे चांदी के पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद हो । इसलिये इस का कोई असर नहीं होगा ।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति): अपने पुराने मित्र के व्याख्यान को सुन कर मुझे बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा ।

डा० **खरे**, हम लोग साथ साथ १९३४ में सभा में आये थे । आरम्भ में वे भी खादी के प्रेमी थ परन्तु तब से वे कुछ खिन्न हो गये हैं । तथा यही कारण है कि वे खादी में एक प्रकार की राजनीति देखते हैं जो उसमें नहीं ह । कुछ भी हो हम खादी का समर्थन किसी राजनीति के कारण नहीं करते हैं वरन् इसलिए कि हम ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि इस देश में हमारी अर्थ व्यवस्था को केवल खादी तथा कर्घा ही सुधार सकता है ।

मैंने स्वयं १९२० में एक गोदाम खादी के उत्पादन के लिये तथा एक गोदाम खादी की बिक्री के लिये खोला था । कुछ ही समय में जब हम ने रुई की पोनियां बांटना आरम्भ किया तो एक बाजार जैसी लग जाती थी । अनेक व्यक्ति हम से पोनियां ले जाते थे तथा दूसरे सप्ताह में सूत लौटा जाते थे । हम यह सूत जमा कर लेते थे और तब बाजार के दिन अनेक बुनकरों को बांट देते थे । अब भी हमारे प्रदेश में यह प्रथा कई स्थानों पर प्रचलित है । ग्रामवासी किसी प्रकार का द्वितीयक कार्य चाहते हैं तथा चाहते हैं कि उससे जो कुछ कमा सकें उस से बाजार के दिन अपनी अपनी आवश्यकता की सामग्रियां क्रय कर सकें । आज भी यदि इस प्रथा को चलाया जाय, इस के केन्द्र खोले जायें तथा अखिल भारतीय चर्खा संघ प्रोत्साहन या सहायता दे तो मुझे विश्वास है कि हम सब खादी प्रेमी बन जायेंगे ।

कर्घा बुनकरों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई है । इन की संख्या बहुत है । केवल मेरे ज़िले में इनकी संख्या २२,००० है । यदि एक परिवार पांच व्यक्तियों का हिसाब लगाया जाय तो एक लाख आदमी इसी उद्योग पर निर्भर करते हैं । कुछ व्यक्तियों को आपत्ति है कि यदि कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया तो कुछ मिल बेकार हो जायगे परन्तु मैं उन से कहूंगा कि जो मिल चलातें हैं कि वे केवल निर्यात के लिये उत्पादन करें । विभाजन के पश्चात् हम पंजाब से रुई इतनी नहीं मिलती है । अहमदाबाद की मिलों के लिये हम मिस्र तथा अन्य स्थानों से अस्सी नब्बे करोड़ रुपये की रुई आयात करते हैं । अच्छी प्रकार की रुई का आयात होता रहे तथा हमें चाहिये कि हम निर्यात की बाजारों के लिये पर्याप्त उत्पादन करें । आस पास के देश जहां सूती मिलें नहीं हैं जैसे बरमा वहां हम अपना माल बेच सकते हैं । आस्ट्रलिया तक में बिनी कम्पनी का कपड़ा

[श्री एम० ए० आय्यंगार]

बिकता है। यहां तक कि कपड़े की कुछ ऐसी किस्में हैं जो इंगलैण्ड तक में बिकती है।

अतः ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि मिल ऐसे कपड़ों का उत्पादन करें जिन की खपत निर्यात की बाजार में हो परन्तु धोतियों व सारियों के उत्पादन का कार्य केवल कर्घा उद्योग ही के लिये छोड़ दिया जाय तभी कर्घा उद्योग पनप सकता है। वास्तव में कर्घे से बहुत सुन्दर वस्त्र तय्यार किये जा रहे हैं। इन की प्रदर्शनियां होती हैं जहां इन के चमत्कार को देख कर लोग दंग रह जाते हैं। ऐसे सुन्दर वस्त्र अन्य देश के लोगों को भी उपलब्ध नहीं हैं। हाल में जब मैं इस सदन के एक महिला सदस्या के साथ अमरीका गया हुआ था तो हर व्यक्ति उन की सारी को देख कर दंग हो जाता था। 'अरनी' में वह स्थान जहां से मैं आया हूं, १५० रुपये तथा २०० रुपये की सारियां होती हैं। मैं तो समझता हूं कि दस पन्द्रह सारियां लेता जाता तो यात्रा का व्यय भली भांति निकल सकता था।

इसलिये इस देशी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये। आसाम में तो मैंने सुना है कि कोई महिला यदि बुनना नही जानती है तो उसे पति ही नहीं मिलता। सलेम में तो सारा कस्बा इसी कर्घा उद्योग पर निर्भर करता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार सूती व्यवसाय इस प्रतिबन्ध को मान ले कि जहां तक धोतियों तथा सारियों का सम्बन्ध है उनका उत्पादन केवल कर्घा द्वारा ही किया जावे तथा देशज प्रयोग के लिये मिलों द्वारा उन का उत्पादन बिलकुल न किया जावे।

कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति की है कि कर्घो का कपड़ा मंहगा पड़ेगा और आवश्यकता ऐसे कपड़े की है जो सस्ता हो तथा जिसे साधारण व्यक्ति खरीद सकें। यह गलत है क्योंकि मिल का कपड़ा जल्दी फट जाता है जब कि कर्घे पर बना कपड़ा ज्यादा दिन तक चलता है। इस लिये अगर वही मूल्य देना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इतने आदमियों को काम से लगाए रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

यह दो बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसमें कोई राजनीतिक रहस्य नहीं हैं यह तो अपने भाईयों को जो सघर्ष में रत हैं पुनर्वासित करने का एक आर्थिक प्रश्न है। इस के अतिरिक्त यह हमें भुगतान का संतुलन सुधारने में सहायता करेगा जो हम अन्य तरीकों से नहीं कर पाते हैं।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्): यह बड़ी अच्छी बात है कि माननीय उपाध्यक्ष उसी निर्वाचन क्षेत्र से आ रहे हैं जहां कर्घा उद्योग के बुनकरों ने बड़ी कठिनाई का सामना किया है। हमारे देश में लाखों बुनकर हैं जो गत दशाब्दी से बड़े कष्ट से जीवन निर्वाह कर रहें हैं। क्या यह विधेयक उन की दशा को सुधारना चाहता है। ऐसे क्षेत्रों की उन्नति जहां बुनकर रहते हैं, तभी हो सकती हैं जब इस उद्योग की दशा सुधारी जाय।

कहा जाता है कि सरकार मिल के कपड़े पर पांच, छै करोड़ रुपये उपकर शल्क लगाकर संग्रह करेगी तथा इस धन राशि का प्रयोग खादी तथा कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये किया जायगा।

खादी उद्योग तथा कर्घा उद्योग में बहुत अन्तर है क्योंकि खादी हाथ से बुनी तथा हाथ से कती होती है तथा कर्घे का कपड़ा मिल का कता तथा हाथ का बुना होता है। खादी व्यवसाय को एक सम्पन्न उद्योग बनाने में जो कठिनाइयाँ हैं वह मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। खादी प्रेमियों का भी यही मत है। लगभग दो वर्ष पूर्व १९५० के हरिजन में डाक्टर कैलाश नाथ काटजू जैसे योग्य व्यक्ति ने जो अब संघ सरकार के गृहकार्य मंत्री हैं अपने एक लेख में जो इसी विषय होने वाले अध्ययन गोष्ठी के सम्बन्ध में लिखा गया था बताया था कि खादी व्यवसाय आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हो सकता है तथा यदि इसे सरकार की ओर से उदारपूर्वक अनुदान भी दिये जायें तो भी दिन प्रतिदिन बदलने वाले परिवर्तनों तथा नये नये फैशनों के संसार में इस का जीवित रहना कठिन है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे उद्योग को सार्वजनिक कोष सहायता नहीं देनी चाहिये क्योंकि जब हम सामाजिक धन का इस प्रकार व्यय करें तो हमें विश्वास होना चाहिये कि क्या कोई ऐसा समय आयगा जब यह धन लौट कर समाज को मिलेगा परन्तु बुनकरों की समस्य दूसरी है तथा उन का भी रूप इस से भिन्न है।

यह विधेयक उपकर से प्राप्त लगभग छै करोड़ रुपये की अल्प धनराशि से कर्घा तथा खादी दोनों उद्योगों की सहायता करना चाहता है। मेरा अनुमान है कि हमारे देश में लगभग तीस लाख कर्घे हैं जो हमारे देश की १८० लाख जनता का पेट पालते हैं। यदि हम प्रतिशतता के आधार पर इस धन को वितरित करेंगे तो प्रति कर्घा लगभग केवल बीस रुपये प्रति वर्ष का औसत पड़ेगा।

सरकार को ज्ञात होना चाहिए कि यदि कर्घा उद्योग को वास्तव में सहायता करना हो तो पर्याप्त मात्रा में सस्ते तथा सहायता प्राप्त सूत का संभरण करना चाहिए तथा उनके उत्पादन को बेचने के नये तरीके उपलब्ध करना चाहिए।

कर्घा उद्योग की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक तो सूत की कमी का है जिस के कारण बुनकर को इतना कम सूत मिलता है कि वह महीने कठिनाई के साथ दस दिन काम कर पाता है। दूसरी समस्या कर्घा उद्योग के संगठन की है। १९२४ या उस के लगभग पहली कर निर्धारण जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि मिश्रित मिलों की संख्या (बुनने तथा कातने की मिलें) कातने की मिलों की सापेक्षता में बढ़ गई है। इसी का परिणाम था कि कर्घा के लिए सूत का संभरण कम हो गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन स्थानों में जहां बुनकरों की संख्या अधिक है उन को सस्ते दामों से सूत का संभरण करने के लिए कातने की मिलों का स्थापित करना अत्यन्त वांछनीय होगा। इस विधेयक में बुनकरों को सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध करने का कोई उपबन्ध नहीं है यदि मान लिया जाय सरकार का अभिप्राय है कि इस का धन का उपयोग सस्ते सूत के लिए किया जाय तो जो धनराशि उपलब्ध की गई है वह इस कार्य के लिए अत्यन्त अपर्याप्त है।

इंगलिस्तान में सत्रहवीं तथा अट्ठारवीं शताब्दी के लगभग एक सम्प्रदाय था जो 'क्लोदियर्स' अर्थात कपड़े वालों के नाम से पुकारा जाता था जिस का काम था कि सूत खरीदे तथा तैयार माल को बाज़ार में बेचे। क्या यह हमारे देश में सम्भव

[डा० कृष्णास्वामी]

नहीं है कि सब या कुछ मिलों को इस के लिए विवश किया जाय कि वे बुनकरों को सूत संभरण करने के लिए अपनी कताई की क्षमता की एक प्रतिशतता अलग कर दे, उनको उधार की तथा अन्य सुविधाएं दें तथा उन के कर्घे के उत्पादन को बेचने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। यह न केवल सामाजिक रूप से हितकारी होगा वरन् लाभदायक भी होगा । बुनकरों की एक और कठिनाई यह है कि बुनकरों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि वे अपने माल को बेचने के लिए इस बात की राह नहीं देख सकते हैं कि भाव चढ़ जाने पर माल बेचें । यही कारण है कि वे स्थान जो पहले बुनकरों से आबाद थे अब वे उजड़ रहे हैं ।

पन्द्रह वर्ष पूर्व कर्घा उद्योग का संगठन अच्छा था साधारण बुनकरों की अपेक्षा साधारण बुनकरों की संख्या अधिक थी जिनके कारण साड़ियों या धोतियों जैसी कर्घा की सामग्रियो क टिकाऊ तथा समान स्तर के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता था। आज हम देखते हैं कि नये आगन्तुकों की इस उद्योग में एक बाढ़ आ गई है। कृषि के यह विस्थापित व्यक्ति, जिन के पास न पूंजी है और न कौशल एक नई सामाजिक समस्या पैदा कर रहे हैं । इस लिए इस उद्योग को संगठित करने की बहुत आवश्यकता है । यदि सरकार विधि बनाकर मिलों को वही करने के लिए विवश कर दे जो इंगलिस्तान में 'क्लोदियर्स' करते थे तो इस व्यवसाय के संगठन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस उद्योग के संगठित हो जाने पर इस में अपेक्षतः कम नये व्यक्ति आ सकेंगे तथा इसका प्रभाव यह होगा कि उत्पादन के स्तर की समानता स्थापित होगी तथा नयी बाजार बन जायगी । इसके लिए बुनकरों के केन्द्रों में मिल भी खोले जायं ।

संरक्षण के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि संरक्षण दो प्रकार का हो सकता है । आंतरिक संरक्षण तथा आयात के विरुद्ध संरक्षण मद्रास की विधान सभा ने कर्घे की सामग्रियों के लिए आंतरिक संरक्षण प्रदान किए जाने का एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था । मेरा सुझाव है कि यदि एक बार हम देश में 'क्लोदियर्स' द्वारा कर्घा उद्योग को संगठित कर लें तो आंतरिक सुरक्षा बहुत हितकारी हो सकती है । आंतरिक संरक्षण के विरुद्ध एक तर्क दिया जाता है वह यह कि इस में बच निकलने के बहुत रास्ते हैं । आप का निराकाम्य शुल्क मण्डल यह तो कह नहीं सकता साड़िया नहीं बनाई जा सकती । साड़ी की परिभाषा क्या की जायगी ? इस लिए आदेश केवल यही दिया जा सकता है कि निश्चित लम्बाई-चौड़ाई के कपड़े मिलों द्वारा न बनाये जायें । परन्तु इस निषेध को भंग करने के बहुत से ढंग हैं । अतः परिणाम यह होगा कि इस का लाभ कर्घा उद्योग तक नहीं पहुंचेगा । शहरी क्षेत्र में बेकारी का आप कितना मूल्य दे सकते हैं ? ग्रामीण क्षेत्र में कम उत्पादन क्षमता तथा अधिक सेवायुक्त को आप कहां तक प्रोत्साहन दे सकते हैं ? उपभोक्ता की रुचि एक तीसरी बात है। हो सकता है वह उन्हीं सामग्रियों का न खरीदे जिन को इस प्रकार संरक्षण दिया जा रहा है । परन्तु एक बार यदि हम 'क्लोदियर' हित उत्पन्न कर दें तो आंतरिक संरक्षण की कुछ मात्रा लाभदायक हो सकती है क्योंकि सहकारी मिलों तथा अन्य मिलों का भी हित इसी में होगा कि कर्घे की सामग्रियां अच्छी हों तथा आंतरिक

संरक्षण का दुरुपयोग न किया जाय। एक बार कर्घे उद्योग के संगठित हो जाने पर नये बाज़ार उत्पन्न हो जायेंगे। उपभोक्ता की रुचि भी सदा ही प्राकृतिक नहीं होती है। कुछ रुचियां बनाई जाती हैं कुछ विज्ञापन से उत्पन्न की जाती हैं।

यदि हम अपना तत्कालीन ध्यान हाथ कर्घा उद्योग का इस आधार पर संगठन करने की ओर दें तो केवल हमारे बुनकरों की आय में ही वृद्धि न होगी अपितु हाथ कर्घा उद्योग की उन्नति भी होगी। लाखों हाथ कर्घा बुनकरों को, जो केवल इसी पर निर्भर है, विश्वस्त जीविका प्राप्त होगी।

वास्तव में, इस उद्योग के पुनः संगठन का भविष्य में परिणाम यह होगा कि हाथ कर्घा व्यवसाय में घुसने के लिए अधिक कठोर स्तर बन जायेंगे, और वे कपड़े वालों के कार्य तथा उपयोग कर्त्ताओं की पसन्द के परिणाम स्वरूप बनेंगे। फिर भी, आज जो कुछ हम इस विधेयक में कर रहे हैं वह है इस समस्या को सुलझाने के लिए टैकनीकल सुधारों पर कर लगाना।

प्रो० एस० एन० मिश्र (दरभंगा-उत्तर): मधुबनी भारत में खादी का सुप्रसिद्ध केन्द्र है। मेरे क्षत्र में हज़ारों व्यक्ति खादी में लग हुए हैं या यूं कहूं कि हज़ारों का भोजन, बच्चों की शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाऐं खादी उद्योग पर निर्धारित हैं। अनेकों मज़दूरों ने अपना जीवन खादी की उन्नति तथा प्रगति के लिए समर्पित कर दिया है। मैं यह विश्वासनीय ढंग से कह सकता हूं कि संसार का कोई भी देश मज़दूरों की ऐसी कार्य कुशलता, बुद्धिमानी तथा समर्पण की भावना पर जैसी कि इन की है गर्व नहीं कर सकता। परन्तु आजकल इन में से बहुत से मज़दूरों को काम से हटाया जा रहा है क्योंकि उनका स्टाक उन के पास पड़ा है, और जिसका कारण है उपभोग की कमी या सरकार की लापरवाही। इस विधेयक के द्वारा सहायता देने की जो व्यवस्था की जा रही है उस से खादी के उत्पादन पर प्रभावी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

कुछ समय तक तो मैं यह सोचता रहा हूं कि हमारी सरकार खादी की ओर यथोचित ध्यान क्यों नहीं देती है? मेरे विचार में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् खादी-उत्पादन या कुटीर उद्योग को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार, राष्ट्रपिता, की मृत्यु के पश्चात् खादी को इस रूप में प्रोत्साहन दे जैसा किसी विधवा को दिया जाता है। यह तो कठोर आर्थिक यथार्थ है जिसे कुटीर उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए। आजकल देश के सम्मुख बेकारी की समस्या है और यह जटिल से जटिल होती जा रही है। यह हम जानते हैं कि आगामी पांच वर्षों में मज़दूरों की कुल संख्या में केवल ७० लाख मजदूरों की वृद्धि होगी। इन व्यक्तियों को काम देने पर लगभग १०५५० करोड़ रुपये या हमारी राष्ट्रीय आय का २३ प्रतिशत भाग व्यय होगा।

इन सब के आधार पर मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन व्यक्तियों को काम देने के लिए इतनी बड़ी धन-राशि की व्यवस्था कर सकेगी? यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें ये संसाधन कुटीर

[श्री एस० एन० मिश्र]

उद्योग म लगाने होंगे । उन्हें खादी को प्रोत्साहन देना पड़ेगा । खादी, कुटीर उद्योगों का केन्द्रीय विन्दु है जिसके लिए सरकार को सलाह दी जायेगी कि वह व्यक्तियों को काम देने के लिए अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करे। अन्यथा इस समस्या का कोई उपाय नहीं है । सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि यह पुराने व्यक्तियों का सा बर्त्ताव है । परन्तु ऐसा नहीं है अपितु यह वास्तविक आर्थिक विचारधारा है जो हमें यह कहने के लिए बाध्य करती हैं कि केवल खादी को प्रोत्साहित करके, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करके, बेकारी की बिगड़ती हुई समस्या को सुलझाया जा सकता है । मैं सोचता हूं कि जब ब्रिटिश सरकार गत महायुद्ध को चलाने के लिए ५००० करोड़ रु० एकत्रित कर सकी तो हमारी सरकार इस निर्धनता के विरुद्ध युद्ध में उतना भी धन एकत्रित नहीं कर सकती जितने की देश में बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यकता है । मेरा विचार है कि बेकारी तथा निधनता की यह समस्या केवल युद्धस्तर पर भी सुलझाई जा सकती है ।

सरकार सदैव ही उच्च-मान वाले उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के बीच सन्तुलन बनाने की बात करती है । हम भी ऐसा चाहते हैं परन्तु इन दोनों के बीच उस समय तक जब तक कि उत्पादन मांग से अधिक नहीं होता कभी झगड़ा नहीं हो सकता । वह स्थिति अभी नहीं आई है । हम उत्पादकों के समाज में विश्वास करते हैं न कि शोषण-कर्ताओं के समाज में

डा० बी० पी० अदारकर के अनुसार आजकल लगभग १००० करोड़ रुपये की लागत की जन शक्ति प्रति वर्ष नष्ट होती है । इस सब की दृष्टि से मेरा विचार है कि खादी तथा कुटीर उद्योग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। गान्धी स्मारक निधि ने तीन करोड़ और ३० लाख रुपया दिया था परन्तु वह सब बड़े बड़े उद्योगों में लगा दिया गया ।

मै जानना चाहता हूं कि यदि आप कृषकों को सहायक व्यवसाय जैसे कुटीर उद्योग का काम नहीं दे रहे तो उनकी क्रय शक्ति में कैसे वृद्धि करेंगे । दूसरा प्रश्न भूमि भार का है । जब तक इस भार में कमी नहीं होती, तब तक भारत में कृषि तथा आर्थिक प्रस्थापना करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस दृष्टि से खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों को अपेक्षित अधिक महत्व तथा प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

एक प्रश्न उठाया गया है कि खादी तथा कुटीर उद्योगों में अन्तरिम शक्ति का कमी है । तथ्य यह है कि जूट, कोयला, वस्त्र चीनी, स्पात और अनेकों अन्य उद्योग सरकार के सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव पर निर्भर थे और औद्योगिक संबंध तथा मूल्य के निश्चत करने आदि के सम्बन्ध में जाति के महान त्याग पर फले फूले हैं । यदि खादी या कुटीर उद्योगों में कोई आन्तरिक शक्ति नहीं है तो वे विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी अब तक कैसे बने रहे ।

खादी के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजन के शेष तीन वर्षों के लिए

सरकार को एक राष्ट्रीय लक्ष्य बना लेना चाहिए अर्थात् १५ किरोड़ वर्ग गज़ १९४१–४२ में जब कि उत्पादन उच्चतम मान पर था, ३.२ वर्ग गज़ का उत्पादन हुआ था परन्तु आजकल उत्पादन मात्रा केवल २ करोड़ वर्ग गज़ है । यदि हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो यह केवल लक्ष्य बनाने तथा उस पर जमे रहने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह है कि खादी या कुटीर उद्योग को उच्च मान पर प्रोत्साहन देने के लिए आपको शिक्षा उद्योग, राजकोष, निर्यात, आयात तथा यातायात नीतियों में बड़ा परिवर्तन करना होगा । इस समस्या के सुलझाने में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करना बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम मेरे क्षेत्र मे दृष्टिगोचर भी होते हैं । कुटीर उद्योगों को किराये में छूट मिलनी चाहिए, इसके बिना मिल के कपड़े का मुकाबला करना कठिन होगा । जहां तक खादी के निकलने का प्रश्न है, सरकार को चाहिए कि वह अपनी समस्त वस्त्र आवश्यकताओं के लिए सारी खादी आदि को स्वयं ले ले । खादी को जाति में सम्मानित करने का एक ढंग यह है कि सरकार अपने अधिकारियों को कहे वे केवल खादी या हाथ का बूना पहनें। इससे खादी को आर्थिक सहायता मिलेगी । दूसरा उपाय यह है कि स्वावलम्बी होने के आधार पर खादी के लिए बाज़ार ढूढा जाये । इसके लिए सरकार को गांवों के रहने वालों को प्रशिक्षा सुविधा, कच्चे माल का साधारण, उत्तम बीज का साधारण तथा टैक्नीकल सहायता देकर प्रोत्साहन देना होगा ।

इस विधेयक की धारणा का अनुसरण करते हुए सरकार को अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये आगे कार्यवाही करनी चाहिए । अन्त में, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब तक ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति पुनः ठीक नहीं की जाती तब तक देश में भारी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती और यह केवल कुटीर उद्योगों को मुख्यकर खादी तथा करघा उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देकर ही हो सकता है । अतः यह एक अच्छा उपाय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुरुपादस्वामी प्रत्येक माननीय सदस्य को १० मिनट मिलेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): इस विधेयक ने मेरे मस्तिष्क में मिश्रित विचार धारायें उत्पन्न करदी हैं । क्योंकि सरकार की नीति और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के व्यवहार में बड़ा अन्तर है और इस बात पर सन्देह होता है कि वे वास्तव में इन उद्योगों का विकास करना चाहते हैं । इस से पहिले कि हम इस विधेयक का समर्थन या विरोध करें हम सरकार की नीति का स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

सरकार का यह व्यवहार है कि देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हथ करघा तथा कुटीर उद्योग आवश्यक नहीं है । यह बड़ा भयानक व्यवहार है । देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसका बड़ा ही नाशकारी प्रभाव पड़ेगा । आजकल के बड़े बड़े अर्थ शास्त्रियों का विचार है कि भारत में बेकारी की समस्या वर्तमान काल का अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न है । यदि सरकार "पूर्ण व्यवसाय की पूर्ण नीति" का पालन करना चाहती है तो हमें सरकार की उन समस्त कार्यवाहियों का

[श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी]

समर्थन करना चाहिए जिनसे लाखों व्यक्तियों को काम मिलने के अवसरों में वृद्धि हो ।

उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण तथा प्रादेशिक वितरण के लिए भी यह आवश्यक हो कि खादी तथा हस्तकर्घा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये । सब से बड़ा इसका फायदा यह होगा कि करोड़ों लोगों को काम मिल जायगा ।

यह उद्योग आज तीन मुख्य कठिनाइयों का सामना कर रहा है । एक कठिनाई इस उद्योग में धनाभाव की है । दूसरे इसे टैक्नीकल सहायता नहीं मिल रही है और तीसरे इसकी बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं । जो लोग इस उद्योग में कार्य संलग्न है उन्हें बैंकों अथवा सहकारी समितियों से उधार नहीं मिलता है, परिणाम यह होता है कि वह समय पर कच्चा माल नहीं खरीद सकते हैं तथा अपनी बनाई हुई चीज़ को उस सयय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं जब तक कि उन्हें अच्छी खासी कीमत न मिले । इस तरह से बिचवई लोग उसकी इस मजबूरी से फायदा उठाते हैं ।

यदि आप इस उद्योग को आधुनिक तथा आर्थिक लाइनों पर चलाना चाहते हैं तो कारीगरों को इस सम्बन्ध में टैक्नीकल सहायता अवश्य ही देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि खादी समस्या के इस पहलू की जांच कराई जाए । कारीगर यह समस्या हल नहीं कर सकता है। उसके पास इतने साधन कहां है ? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे ।

खपत तथा विक्रय बढ़ाने की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बिना यह उद्योग कभी पनप नहीं सकता है । इस माल की खपत बढ़ाने का एक तरीका यह हो सकता है कि गांव में जो मेले हुआ करते थे तथा जो अब कम होते चले जा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देकर पुनर्जीवित किया जाये । इस तरह के मेले लगने से उस क्षेत्र में तैयार की जाने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ जायेगी। यदि हम यह आशा करेंगे कि ग्रामों में तैयार की गई वस्तुएं शहरों में बिक जानी चाहिए तो यह यातायात की कठिनाइयों के कारण बहुत मंहगी पड़ेंगी इतना ही नहीं, जब कभी ग्रामवासी शहरों में आजाते हैं । तो वह मिलों में बनी हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित होते हैं। मांग बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण जनता की क्रय-शक्ति बढ़ जाए । इसके लिए भी हमें दस्तकारी को ही प्रोत्साहन देना होगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय उद्योग मंत्री इस काम के लिए उत्सुक हैं । यदि वह नहीं हैं तो इस विधेयक को पास करने का कोई फायदा नहीं । मैं उन से अपील करता हूं कि वह हमें साफ साफ बता दें कि इस सम्बन्ध में उनकी नीति आगे क्या होगी ? इस उद्योग पर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था निर्भर है। यही कारण है कि मैं उन से क्यों अपील करता हूं कि वह इस के प्रति उदासीन न रहें ।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी है कि इस विषय पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं । मुझे इस पर

बोलने की आवश्कता भी नहीं थी लेकिन मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि खादी के बारे में बहुत से सदस्यों के मन में शंकायें और गलतफहमियां हैं।

डाक्टर खरे ने जो कुछ कहा उसकी तो परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन को हर चीज़ में पालिटिक्स दिखाई देती है। लेकिन मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ अर्थ शास्त्री जो इस हाउस में हैं उनके भी खादी के बारे में जो ख्यालात हैं वे सही नहीं हैं। मैं इसको सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखना चाहता हूं। इसमें न गांधी जी के प्रति भक्ति का कोई सवाल है न देश भक्ति का कोई सवाल है। यह एक सीधा सा सवाल है कि हम इस देश में बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं या नहीं। अगर हल करना चाहते हैं तो मैं आप को कुछ आंकड़े बतलाऊंगा जिनसे आप को यह स्पष्ट दीखेगा कि कताई से कितने लोगों को आज काम मिल रहा है और कितने लोगों की रोजी चलती है। मेरे पास अखिल भारतीय चरखा संघ की रिपोर्ट है जिससे आप को पता चलेगा कि सन् १९२७ से जब कि चरखा संघ की स्थापना हुई थी तब से सन् १९५२ के अन्त तक करीब बीस करोड़ की खादी बनी है। इस बीस करोड़ रुपये की खादी में जो कातने वाले थे, जिनमें खास तौर से स्त्रियां हैं उन को करीब दस करोड़ रुपया मिला। बाकी जो रुपया था वह बुनने वालों को मिला और व्यवस्था के खर्च में गया। इससे आप को साफ पता चलेगा कि चरखा संघ ने जो छोटे से परिमाण में काम किया उसमें इतने लोगों को कताई के लिए दस करोड़ रुपया मिल सका। सन् १९५०-५१ के आंकड़े इस प्रकार हैं। चरखा संघ में जो खादी बनती है उस को बनाने वालों में जो कातने वाले हैं, और जिन में खास तौर से स्त्रियां और लंगड़े लूले व्यक्ति हैं जिन के पास रोजी का और कोई साधन नहीं है, उनकी संख्या दो लाख २२ हजार है और जो बुनने वाले हैं वह सिर्फ १४,५०० हैं। अब आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगर हम सिर्फ बुनाई के ऊपर जोर दें तो कुछ हजार लोगों को हम पाल सकते हैं। लेकिन अगर कातने पर भी ज़ोर दें तो लाखों को पाल सकते हैं। तो यह सवाल रोज़ी का है। यह सैंटीमेंट का सवाल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि कताई अनइकानमिक है। लेकिन अनइकानमिक नहीं है। उसके आंकड़े इस तरह हैं कि आज २ लाख २२ हजार कातने वाले हैं उन को औसतन आठ आने रोज मिलते है कुछ जगह सात आने, कहीं ६ आने, कहीं नौ आने और कहीं दस आने। चरखा संघ की यह पालिसी इस वक्त है कि धीरे धीरे ऐसा किया जाय कि कातने वालों को आठ घंटे के काम के लिए बारह आने रोज मिल सकें। इन बारह आने को आप कुछ मामूली न समझें। एक मामूली अनस्किल्ड लेबरर आज एक रुपया रोज कमाता है। लेकिन अगर हम आज कातने वालों को १२ आना रोज भी दे सकें, जिनमें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, जिन में इतनी शारीरिक शक्ति नहीं है कि वह खेतों में या कोई और सख्त काम कर सकें, तो यह बहुत है। आप उनके लिए क्या करेंगे। किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट को इन्हें डोल्स देने पड़ेंगे या ऐलाउन्स देना पड़ेगा। आप यह नहीं कर सकते। अगर आप यह नहीं कर सकते तो क्या वह लोग भूखे मरें? ऐसी हालत में इस समस्या को हल करने के लिए कताई के सिवा और कोई इलाज नहीं है। और इस में इनवैस्टमेंट कितना

[प्रो० अग्रवाल]

लगता है ? बांस के चरखे की कीमत छः या आठ आने है, जो किसान चरखा है उसकी कीमत ढाई रुपये से चार रुपये तक हैं और जो अच्छे चरखे हैं उनकी कीमत आठ दस रुपया है । ज्यादातर मामूली किसान चरखा ही चलाया जाता है जिस की कीमत दो ढाई रुपये है । अगर इतने इनवेस्टमेंट में कोई १२ आना रोज कमा ले तो मैं समझता हूं कि दुनिया में और कोई दूसरी काटेज इंडस्ट्री नहीं होगी जिसमें इतना क्विक टर्न ओवर हो । फिर भी हम कहते हैं कि स्पिनिंग बेकार है । हम सिर्फ हैंडलूम की बात करते हैं । मैं हैंडलूम के खिलाफ नहीं हूं । कौन उसके खिलाफ हो सकता है ? आखिर खादी में भी तो हैंडलूम है । लेकिन खादी-हैंडलूम के साथ साथ स्पिनिंग भी है जो करोड़ों लोगों को आज रोजी दे सकता है और दे रहा है । चरखा संघ ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है वह गवर्नमेंट के सामने रखी गयी है और आल इंडिया खादी आरगेनाइजेशन के सामने रखी गयी है । उसके हिसाब से इन पांच वर्षों में वह ७५ लाख स्पिनर्स को रोजी देना चाहते हैं । ७५ लाख मामूली आंकड़ा नहीं है । आज प्लानिंग कमीशन ने जो आखिरी अध्याय लिखा है अनऐम्पलायमेंट पर, उसके अनुसार कुछ लाख आदमियों को काम मिल सकेगा । लेकिन अगर यह इंडस्ट्री ७५ लाख लोगों को आज दस से १२ आना रोज तक दे सकती है तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं ऐम्पलायमेंट की उन में सब से ज्यादा इफैक्टिव यह स्कीम होगी । तो इस स्कीम को हम इस निगाह से न देखें कि गांधी जी ने खादी चलायी थी, इसलिए भाई इसको चलाना चाहिए । यह ठीक नहीं लगता कि खादी न चले । मैं तो इसके द्वारा सिर्फ बेकारी की समस्या को हल करने की बात करना चाहता हूं ।

मुझे हैरानी हुई और बहुत खुशी भी हुई कि जिस समस्या की आज हम चर्चा करते हैं और जिस के बारे में आज भी हमारे पढ़े लिखे इकानमिक्स के प्रोफैसर यूनिवरसिटियों और कालिजों में जिक्र करते है, उसके बारे में बंगाल गवर्नमेंट के एक अफसर ने जो कि एक कलक्टर थे, मिस्टर कोलबुक, ने, एक नोट लिखा था, जिसमें से मैं कुछ वाक्य आप को पढ़कर सुनाऊंगा । वह जितने उस वक्त सही थे उतने ही आज भी सही हैं । उस वक्त कुछ अंग्रेजों का जो ख्याल स्पिनिंग के बारे में था वही आज भी सही है । वह लोग कुछ गांधी जी के भक्त नहीं थे, गांधी जी तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे । और उन लोगों को इस देश से प्रेम भी नहीं था । लेकिन उस वक्त एक अंग्रेज अफसर ने इसके बारे में आर्थिक दृष्टि से क्या लिखा वह मैं आप के सामने पढ़ना चाहता हूं । यह सन् १७८६ की बात है ।

> "ब्रिटिश भारत की सरकार जैसी व्युत्पन्न सरकार को चाहिये कि अत्यधिक गरीब श्रेणी के लोगों को रोजगारी देने का प्रबन्ध करें । इन प्रान्तों में अभी तक ऐसा प्रबन्ध नहीं है (उस समय वह बंगाल का जिक्र कर रहे थे) कि जिससे कि गरीब तथा असहाय लोगों को राहत मिलें । दुर्बलता अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण जो विधवाएं तथा अनाथ महिलाएं खेती का काम नहीं कर सकती वे कताई द्वारा जीवन निर्वाह कर सकती हैं । ये एक ऐसा साधन है कि जीवन-

निर्वाह के लिए आवश्यक न होते हुए भी परिवार का दारिद्र्य कम करने में वह हाथ बटा सकता है। अतः असहाय गरीबों को राहत देने वाले इस एकमेव साधन को प्रोत्साहन देना आवश्यक प्रतीत होता है।"

तो आप यह देखें। लेकिन वह उस वक्त नहीं चला क्योंकि वह इम्पीरियलिज्म का ज़माना था और उस समय स्वार्थ था। स्पिनिंग के बारें में आज भी कोई शक नहीं होना चाहिये कि हैंडलूम के अलावा स्पिनिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही कम इनवैस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा टर्न ओवर दे सकती है और जो कि इस देश में करोड़ों लोगों को रोज़ी दे सकती है।

अब मिस्टर सोमानी ने कहा कि उन को खादी के बारे में कोई ऐतराज तो नहीं है लेकिन वह कहते हैं कि सिर्फ मिल इंडस्ट्री के ऊपर ही टैक्स क्यों लगाया जाय। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी सीधी बात को समझने में इतनी दिक्कत का क्या कारण है। जिस इंडस्ट्री की वजह से खादी और स्पिनिंग बरबाद हुए अगर वह इंडस्ट्री थोड़ा टैक्स देगी तो कुछ तो उसके पाप धुल सकेंगे। आप यह और इंडस्ट्रीज़ पर क्यों डालना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे बढ़ायेगी तो और इंडस्ट्रीज़ पर जैसे तेल और शुगर पर भी लगायेगी ताकि और काटेज इंडस्ट्रीज़ को फायदा पहुंचा सके। लेकिन इस मामले में कोई कारण नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर भार डाला जाय।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप खादी और हैंडलूम को अनइकानमिक समझ कर उत्तेजन दें। लेकिन मेरा तो यह दावा है कि अगर हमारे जो टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो टैकनालाजीकल कालिज और इंजिनियरिंग कालिज हैं वह इस तरफ ज़रा भी ध्यान दें तो यह समस्या हल हो सकती है और यह काटेज इंडस्ट्रीज़ ऐसी बन सकती हैं कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ से अच्छी तरह से कम्पीट कर सकती हैं। आपको मालूम होगा कि गांधी जी ने बहुत कोशिश की और इस के लिये उन्होंने एक लाख का इनाम भी दिया था और कहा कि कोई अच्छा चर्खा निकाले। लेकिन इसपर ध्यान किस का होता? न पूंजीपतियों को इस की परवाह थी न गवर्नमेंट को। लेकिन आपने आज के ही अखबार मे देखा होगा कि बम्बई में एक नई तरह की मशीन निकाली गई है जिन को आटो स्पिनर्स कहते हैं। यह स्पिनिंग मशीन है जिस में काडिंग और स्पिनिंग दोनों हैं। और करीब ५ या ६ सौ रुपये में यह मशीन आती है। इस में दस स्पिंडल्स हैं और अगर इस को हम कोआपरेटिव बेसिस पर चलायें तो स्पिनर्स करीब दो तीन रुपये रोज़ कमा सकते हैं। मैं उन में से नहीं हूं जो कि कहते हैं कि जो आज का चर्खा है वह लास्ट वर्ड आन दि सब्जेक्ट है। इस में जरूर विकास होना चाहिये। हैदराबाद में जो सर्वोदय प्रदर्शनी हुई थी उस में एक नये प्रकार का चर्खा आया जो कि करीब दो सौ रुपये का था, जिस में ६ स्पिंडल्स थे और अगर उस पर ठीक से उत्पत्ति की जाय तो करीब दो रुपये रोज की आमदनी हो जायेगी। अगर हम विज्ञान का सहारा लें, वैज्ञानिकों की सहायता लें तो कोई कारण नहीं है कि जो हमारी स्पिनिंग की इन्डट्री है, खादी और हेंडलूम, वह अच्छी तरह मिल से कम्पीट न कर सके। लेकिन अगर उस की तरफ ध्यान

[प्रो० अग्रवाल]

न दें और सारी रिसर्च बड़ी इन्डस्ट्रीज़ में करें तो यह सवाल कभी हल नहीं हो सकता ।

तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस मामले में काफी चर्चा हुई और खादी के बारे में गवर्नमेंट एक बिल लाई और मैं समझता हूं कि आग इस बीज को और बढ़ायेगी। मगर यह काफी नहीं है। अगर इस में सब की दिलचस्पी रही और हमारे वैज्ञानिकों का भी ध्यान इस तरफ गया तो हम जरूर इस देश की बेकारी की समस्या को बहुत दूर तक हल कर सकेंगे ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : देश के सामने आज बेकारी की भारी समस्या है, इसका निवारण करने के लिए यह आवश्यक है कि खादी को प्रोत्साहन दिया जाये । यह एक मानी हुई बात है कि खादी ही एक ऐसा उद्योग है जिस से कि गांव गांव में तथा घर घर में हर व्यक्ति को काम मिल सकता है। और भी कई दस्तकारियां हैं जैसे कि हथकर्घा उद्योग आदि । किन्तु खादी का स्थान इन सब से ऊंचा है । खादी उद्योग में अपंग तथा बीमार व्यक्तियों को भी काम मिल सकता है । खादी ही देश को बेकारी से बचा सकती है

खादी के प्रोत्साहन पर एक करोड़ रुपया खर्च होगा जब कि बाकी छै अथवा सात करोड़ रुपया हस्तकर्घा उद्योग के लिए रखा गया है। मेरे विचार में एक करोड़ की राशि अपर्याप्त है तथा हो सकता है कि हमें तीन अथवा चार करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़े। मैं श्री केलप्पन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस तरह से खादी का बहुत ज्यादा स्टाक जमा हो जायगा जो कि बेचा नहीं जा सकेगा । गत कुछेक महीनों में सरकार ने रुपये में तीन आने की जो रियायत दी उस से खादी का सारा स्टाक बिक गया । इसलिए ऐसी कोई आशंका नहीं । उस समय भी सरकार यथोचित कार्यवाही करेगी ।

विरोधी दल के कई सदस्यों ने कपड़ा मिलों पर एक पैसे का उपकर लगाना पसंद नहीं किया है । एक ओर वह हस्त-कर्घा बुनकरों के साथ सहानुभूति रखते तथा दूसरी ओर वह मिलों को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं । हमें याद रखना होगा कि बुनकरों तथा मिल कर्मकरों में जो संघर्ष है वह स्वाभाविक है । अब आपको देखना केवल यह है कि मिलों में काम करने वाले हज़ारों व्यक्तियों को कष्ट पहुंचे अथवा खादी उद्योग में काम करने वाले करोड़ों व्यक्तियों को ।

धोतियों के उत्पादन में ४० प्रतिशत कमी करने से एक नई स्थिति पैदा हो गई है । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस स्थिति का भलि भांति अध्ययन करे । दक्षिण में हथकर्घे की धोतियां तो सर्वप्रिय हैं तथा इसलिए यह वहां बिकती भी हैं। परन्तु यहां यह लोकप्रिय नहीं । परिणाम यह हुआ है कि मिल की बनी धोतियों में यहां चोर-बाज़ारी हो रही है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन में कोई कटौती न हो, हथकर्घा उद्योग को इतनी अर्थसहायता दी जाये कि वह निर्बाधा प्रतियोगिता में उतर सके ।

मैं समझता हूं कि एक पैसे का उपकर केवल शुरूआत है । मुझे आशा है कि यदि हमें आवश्यकता पड़े तो सरकार उपकर बढ़ायेगी और खादी तथा हस्तकर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देगी ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मुझे खेद है कि मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं जिन्होंने कि इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं यह मानता हूं कि इसे सदविचारों से प्रस्तुत किया गया है परन्तु कार्य निष्पादन की दृष्टि से यह लाभकर नहीं। मुझे मालूम है कि हस्तकर्घा बुनकरों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर जब कि राजे महाराजों तथा जागीरदारों के चले जाने से उनकी बारीक तथा अति सुन्दर वस्तुओं की मांग समाप्त हो गई है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस समस्या का इस विधेयक द्वारा उस ढंग से निवारण नहीं किया जा रहा जैसे कि इस का किया जाना चाहिये था। मुझे खेद है कि यह विधेयक देश की आर्थिक समस्या का एक प्रतिक्रियात्मक, मध्यकालीन तथा अन्धविश्वास से भरा हल है। हमें मालूम है कि खादी आर्थिक दृष्टि से फायदेमन्द नहीं है और न यह कभी हो सकती है। यह उद्योग भूतकाल में मिल उद्योग के अनुपूरक के रूप में चलता रहा है। मिलों के कपड़े से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थीं इसीलिए हम 'स्वदेशी' को प्रोत्साहन देने के लिए तत्पर थे।

हमारे सामने मुख्य समस्या यह है कि भविष्य में हमारी अर्थ-व्यवस्था क्या होगी ? मैं समझता हूं कि यदि हमें प्रगति करनी है तो हमें अपने वस्त्र उद्योग को नवीनतम ढंग पर संगठित करना होगा। हस्तकर्घा उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को मिलों में भरती करने के पश्चात् इस उद्योग को समाप्त किया जाना चाहिये, सिवाय उस छोटे से क्षेत्र को जो कि हमारी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस सम्बन्ध में बनारस, मदुरा तथा बंगलौर का हथकर्घा उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहां बनाई जाने वाली वस्तुएं विश्वविख्यात हैं तथा इन्हें हमारी अर्थ-व्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त होना चाहिये।

खादी को प्रोत्साहन देने के लिए आप मिलों पर कर लगा रहे हैं। यह उन लोगों पर एक प्रकार का 'जज़िया' है जो कि खादी में विश्वास नहीं रखते हैं तथा मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं प्रो० अग्रवाल के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि खादी से हमारी बेकारी की समस्या हल होगी। मेरा अपना विचार यह है कि यह समस्या देश के पूर्ण औद्योगीकरण से हो सकती है जिसमें कि काम के घंटे कम हों। पांच छै करोड़ रुपये की धनराशि से आप हथकर्घा उद्योग की सहायता नहीं कर सकते हैं। और न ही धोतियों तथा साड़ियों का कोटा निश्चित कर के आप ऐसा कर सकते हैं। इस के उलट आपको देखना होगा कि हथकर्घा उद्योग का कौन सा हिस्सा रखना होगा तथा कौन सा अन्ततोगत्वा छोड़ना होगा। इसके अलावा आपको इस बात का निश्चय करना होगा कि कितने समय में इसका परिसमापन किया जाये। मेरे विचार में यह समय एक अथवा दो सन्ततियों से अधिक नहीं होना चाहिए।

बताया गया कि कातने से कृषकों को फुर्सत के घंटों में काम मिलेगा। यह ठीक है, परन्तु और भी उपाय हैं जिन से लोगों को फुर्सत के घंटों में काम मिल सकता है। सरकार ने इस पर गम्भीर्यपूर्वक विचार नहीं किया है।

बताया गया है कि बढ़िया किस्म के चर्खे तैयार करने के लिए पुरस्कार घोषित किये गये। मुझे इस पर हंसी आई।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

आखिर, मिलों में बुनने तथा कातने की जो मशीनें काम कर रही हैं वह बढ़िया किस्म के चर्खे ही तो हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सदन में इस विधेयक पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। वास्तव में, कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण ने अन्य सदस्य द्वारा की गई आलोचना को निरसित कर दिया है। परिणाम यह हुआ ह कि मेरे लिए शायद ही कुछ कहने को बचा है ।

किन्तु एक बात है जिस पर कि मैं पुनः जोर देना चाहता हूं । यह शुद्धतः एक करारोपण विधेयक है । क्रियाशील खंड तो केवल खंड ३ है । शेष खंड महज सहायता करने वाले खंड हैं । वास्तव में, इस उपकर की प्राप्ति से जो खर्चा किया जायेगा वह संसदीय नियंत्रण के क्षेत्र के अन्तर्गत आएगा । राशि का कोई भी भाग बिना संसद की स्वीकृति के नहीं खर्च किया जा सकता और जो ी रुपया खर्च किया जायेगा उस पर महा-लेखापाल का नियन्त्रण होगा ।

यदि यह मान लिया जाए, तो एक बड़ी सीमा तक, सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियां परामर्श के रूप में हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों को, जहां तक संभव हो सकेगा, कार्यान्वित करने का प्रयत्न करूंगा । इस आश्वासन के बाद, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझे क्षमा कर देंगे यदि मैं उनकी बातों का विस्तार में उत्तर सकूं ।

श्री रामास्वामी एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र से आते हैं जहां कि हथकरघा बुनकरों की बहुतायत है । मद्रास राज्य के सलेम के बुनकर प्रसिद्ध हैं और इसलिए वहां के निर्वाचन-क्षेत्र से आने वाले श्री रामास्वामी ने इस चर्चा में भाग लेकर अत्यन्त उचित कार्य ही किया है । किन्तु उन के कुछ आंकड़े सही नहीं हैं । उन्होंने कहा कि सरकार ने मिलों को अधिक करघों की अनुमति दे दी है । बात यह है कि प्रत्येक वस्त्र मिल अपने करघों की संख्या में विस्तार चाहती है । अन्यथा उस मिल को अन-आर्थिक समझा जाता है । बहुधा मद्रास जैसी सरकार को भी, जो कि हथकरघे बुनकरों के हितों को बड़े उत्साह से रक्षण करती है, कुछ मिलों में करघों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश करना पड़ी थी । वास्तविकता में कुछ समय से सरकार अधिक करघों की प्रतिस्थापना करना अस्वीकृत करती रही है, इस ख्याल से कि 'वस्त्र जांच समिति' का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके सम्मुख सम्पूर्ण परिस्थिति होगी । तब हम यह निश्चय कर सकेंगे कि हम मिलों की कताई की समाई में वृद्धि करना चाहते हैं या नहीं । इसी नीति के कारण हमने इस दौरान में कुल मिलाकर केवल ३०० करघे प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी है, वह भी इसलिए कि भूतकाल में हम वचन दे चुके थे । इसलिए सरकार की नीति लगभग वही है जो श्री रामास्वामी चाहते हैं ।

दूसरा महत्वपूर्ण भाषण पंडित ठाकुर दास भार्गव का था । उन्होंने संविधान में से उद्धरण दिया जिसके बनाने में मैं और वह दोनों ही भागीदार थे । उन्होंने 'निदेशक तत्वों' के अन्तर्गत आने वाले संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख किया। मेरे माननीय मित्र को भली भांति विदित

है कि निदेशक तत्वों को मूलभूत अधिकारों से पृथक कर दिया गया है क्योंकि हमने यह अनुभव किया कि जब कि राजनीतिक अधिकार न्याय द्वारा प्रवर्त्तनीय बनाए जा सकते हैं, आर्थिक अधिकार न्याय प्रवर्त्तनीय नहीं बनाए जा सकते और उन्हें, संविधान को कार्यान्वित करने वाली विधि की सरकारों का पथप्रदर्शक होना चाहिये तथा जो लक्ष्य हमने अपने सम्मुख रखे हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। संविधान के इन उपबन्धों के प्रति मैंने अपना यह दृष्टिकोण बदला नहीं है। मेरा इस सरकार का सदस्य होने का वास्तव में यही लक्ष्य है कि मैं भी अपने छोटे से तरीके से उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में सहायता दूं जो हमने संविधान बनाते समय हृदयागत किए हैं।

तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में निश्चय ही समय लगेगा। समय की अवधि इस बात पर निर्भर रहेगी कि इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में सरकार कितनी निर्दयता से काम लेती है। हमारी एक लोकतंत्री व्यवस्था है और हमें निहित स्वार्थों की बातों पर भी ध्यान देना ही होता है। इस चर्चा से हमें यह पता चलता है कि आर्थिक मामलों में हमें क्या करना चाहिये इस सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों में मतभेद है। इस बात में विभिन्नता है कि हमें क्या णाली अपनानी चाहिये, हमारी क्या टेकनीक होनी चाहिये, हमें कितने बल का प्रयोग करना चाहिये। एक ही लक्ष्य के लिए हमारे भिन्न मार्ग हैं। हम कांग्रेस दल के सदस्य, जो कि प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, संविधान के उपबन्धों का पूरी तरह पालन करना चाहते हैं और जिन पांच वर्षों के लिए हम शासनारूढ़ हैं, उनमें इन आदर्शों को कुछ सीमा तक कार्यान्वित करना चाहते और यदि भाग्यवश अगले पांच वर्ष के लिए भी हम शासनारूढ़ हुए तो उन्हें और आगे बढ़ायेंगे। मेरे माननीय मित्र श्री ठाकुर को भी विदित होगा कि निदेशक तत्वों से भी बहुत स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अपने लक्ष्य में निर्धारित सीमा तक पहुंचने में समय लगना आवश्यक है। इंगलैंड का ही मामला लीजिए। वहां पूर्ण रोजगारी की समस्या के हल को धर्म से भी ऊपर माना जाता है। फिर भी वहां ३ या ४ प्रतिशत बेकारी है। अमरीका इंग्लैड से कहीं अधिक अमीर देश है, किन्तु वहां बेकारी और भी अधिक है। अन्य देशों के सम्बन्ध में, जो कि अपने यहां के सब लोगों को रोजगारी दिलाने में विश्वास रखते हैं और उसके प्रयत्न करते हैं, बेरोजगारी के आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं है—जहां कि पूर्ण रोजगारी की बात को संविधान का उपबन्ध बना दिया गया है, किन्तु जो न्याय-प्रवर्त्तनीय नहीं है। उन देशों में भी जहां इतने साधन मौजूद हैं, पूर्ण रोजगारी के लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ा बहुत अन्तर ही रहा आता है। फिर हमारे देश में पूर्ण रोजगारी की बात करना तो सचाई से दूर की बात करना है। मान लीजिए कि किसी चमत्कार से हम सर्वाधिकारवादी राज्य भी बन जाएं तो भी पूर्ण रोजगारी के लक्ष्य की प्राप्ति में समय लगेगा—२० या २५ वर्ष से पहले हम यह लक्ष्य फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं स्वयं चाहता हूं कि हम शीघ्र से शीघ्र यह लक्ष्य प्राप्त कर लें और मुझे सब से अधिक प्रसन्नता होगी यदि हम उन्हें लोकतंत्रीय तरीकों से प्राप्त करें। इसलिए मेरे माननीय मित्र को समझना चाहिये कि यह उस लक्ष्य-प्राप्ति

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

की ओर पहला कदम है। हो सकता है कि हम केवल दो, तीन अथवा चार लाख बुनकरों को ही रोजगार दिला सकें। फिर भी, यह बिल्कुल रोजगार न दिलाने से तो अच्छा है। महज यह बात कि प्राप्त परिणाम, समस्या की वृहत्ता को देखते हुए बहुत मामूली होंगे हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से विमुख नहीं कर सकती।

पंडित ठाकुर दास भागव ने कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं। किन्तु जिन अधिकारों की उन्होंने अपेक्षा की है वे सब हमारे पास पहले से मौजूद है। हमारे पास उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम है जिसके अन्तर्गत कि हम समस्त अनुसूचित उद्योगों को विनियमित कर सकते हैं। हमारे पास सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम है जिसके अन्तर्गत कि हम अब वस्त्र उद्योग को नियन्त्रित कर रहे हैं। और अधिक अधिकार की अपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं है।

दुसरा महत्वपूर्ण भाषण मेरे माननीय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। वह मेरे पूर्ववर्ती रह चुके हैं। मुझे यहां आए अभी ११ मास ही हुए हैं किन्तु वह इस पद पर लगभग तीन वर्ष कार्य कर चुके हैं। इसलिए मैं उन्हें उत्तर देने की अनुकूल स्थिति में नहीं हूं। किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जो ठोस आलोचना की है वह बहुत सहायक होगी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो कमियां इंगित कीं, मैं उनसे अवगत हूं।

जहां तक खादी के प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस दिन स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। इसमें संदेह नहीं कि खादी कांग्रेस दल की राजनीतिक वर्दी है। किन्तु जहां तक इस सहायता देने वाले विधेयक का सम्बन्ध है, यह राजनीतिक दृष्टि से नहीं लाया गया है। इसके पीछे विलकुल आर्थिक पहलू हैं, राजनीतिक नहीं।

एक माननीय मित्र ने कहा, "यह एक करोड़ रुपया क्या चीज़ है ?" मैं उन से बिल्कुल सहमत हूं। इस देश की बेकारी के सामने यह राशि कुछ भी नहीं है। किन्तु हमें यह देखना है कि यह रुपया सावधानी से खर्च हो और उपयोगी तरीके से इसे खर्च करने के लिए हमें मार्ग और साधन ढूंढने हैं। यदि हम देखेंगे कि हम अपने पांव ठीक से जमा पा रहे हैं तो मैं समझता हुं कि सरकार और रुपया खर्च करने को तैयार होगी।

हथकरघे के विषय में पूरी-पूरी चर्चा हुई है। विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। मैं श्री कृष्णास्वामी का अनुगृहीत हूं। उन्होंने दो-तीन खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा, उद्योग में अनियमित प्रवेश निर्व्याज हथकरवा बुनकरों पर अनुचित दबाव होगा। माननीय सदस्यगण चाहे जो भी कहें, किन्तु सचाई यह है कि जो २४ लाख करघे हैं उनमें से वहुत से तो इसीलिए हैं कि केवल हथकरघे के होने से ही व्यक्ति को सूत का कोटा मिल जाता था और उस सूत को वे लोग चोरबाज़ार में बेच देते थे। तो जैसा डा० कृष्णास्वामी ने बतलाया, इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की भीड़ हो रही है जोकि वास्तव में कारीगर नहीं हैं किन्तु विभिन्न आकर्षणों के कारण इस रोज़गार में आ रहे हैं। जिस प्रकार अनेक झूठे राशन-कार्ड लोगों ने बनवा रखे हैं उसी प्रकार अनेक करघ भी।

दूसरी बात डा० कृष्णास्वामी ने डिजाइन के सम्बन्ध में कही । हम जो संघटन स्थापित करने जा रहे हैं उसके द्वारा हम बुनकर को बाज़ार की स्थिति समझाने का प्रयत्न करेंगे । इस सम्बन्ध में मध्य भारत ने प्रशंसनीय कार्य किया है । बुनकरों को यह मालूम नहीं था कि चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों के सम्बन्ध में फ़ैशन बदल चुके हैं और महाराष्ट्रीय स्त्रियां अब नौ गज़ा साड़ी न पहन कर साढ़े पांच गज़ वाली साड़ी प्रयुक्त करती हैं । मध्य भारत के उद्योग विभाग ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने यह परिवर्तन अपना लिया तथा बार्डरों के भी नए-नए आकर्षक जिज़ाइन तैयार करने प्रारम्भ कर दिए ।

डा० कृष्णास्वामी ने इंग्लैन्ड के अनुभव पर ज़ोर दिया । मैं समझता हूं कि हम इंग्लैन्ड के अनुभव से भी सबक ले सकते हैं । लोग कहते हैं : "खादी का क्या मूल्य है ? यह समाप्त हो जाएगी । " हमें 'हैरिस ट्वीड' के सम्बन्ध में इंग्लैन्ड का अनुभव देखना चाहिए । इस ट्वीड का बाज़ार विश्व-पर्यन्त है । इसके संस्कारण का तरीक़ा इतना विशिष्ट है कि यह मशीन की बनी चीज़ से कहीं अधिक चलती है । इंग्लैन्ड से में हैरिस ट्वीड' एक दूसरे मशीनीकृत देश, अमरीका, को जाती हैं जहां उनका बहुत अच्छा बाज़ार है । इसी प्रकार खादी को भी हम जीवित और जारी रख सकते हैं बशर्ते कि इसके साथ जो भावना सम्बन्ध है वह जीवित रखी जाए । और वह भावना क्या है ? वह भावना यह है कि आप आज स्वतंत्र हैं और आप सदा स्वतंत्र रहना चाहते हैं । और मुझे डर है कि जब हम खादी से अपनी लगन समाप्त कर देंगे तो शायद हम स्वतंत्रता का धारणा को बिल्कुल भूला बैठेंगे । इसलिए जो आज़ादी हमने प्राप्त की है, जो भावना इससे जुड़ी हूई है, उसे मैं समझता हूं, इसके जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है ।

अंत में मुझे पुनः यही कहना है जो प्रारम्भ में मैंने कहा था, कि हथकरघा तथा खादी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों ने जो मार्ग सुझाए हैं उनका अनुसरण करने के लिए जो कुछ किया जा सकेगा किया जाएगा । सदन से मुझे जो इतना समर्थन प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं अनुगृहीत हूं और मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में सदन इसी प्रकार मेरी सहायता करता रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो संशोधन हैं : एक विधेयक के परिचालन के लिए, दूसरा उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस ले लिया गया ।

डा० एम० एम० दास : मैं भी अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : इस विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(परिभाषाएं)

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ १ पंक्ति ८ में

[श्री एन० श्रीकान्त नायर]

'१५ फरवरी १९५३' के स्थान पर '१५ मई १९५३' आदिष्ट करिए ।"

डा० एम० एम० दास (बर्दवान-रक्षित अनु० जातियां) : "पृष्ठ १ में

पंक्ति ११ से १३ के स्थान पर आदिष्ट करिए :

"(ग) 'हथकरघा वस्त्र' का अर्थ है देश में शारीरिक श्रम से चलने वाले करघों पर रेशमी, ऊनी और सूती धागों से तयार किया गया वस्त्र;"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ १ पंक्ति १३ में

अंत में जोड़िए 'या बिजली' ।"

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिरी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) "पृष्ठ १, पंक्ति १५ में

'खादी या अन्य' लुप्त करिए।

(२) पृष्ठ १ में

"पंक्ति १६ और १७ लुप्त करिए।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संशोधन सदन में प्रस्तुत किए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री कोई संशोधन स्वीकार करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है, मैं एक भी स्वीकार न कर सकूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भाखड़ा-नांगल की बिजली से संभव है आगे चल कर पंजाब में बहुत से करघे चलने लगें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तब वह हथकरघा न रह कर विद्युत् चालित करघा हो जाएगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा अभिप्राय यह है कि बड़ा कारखाना न चला कर छोटे-मोटे करघे बिजली से चलाने पर लोगों को ३ पाई का कर न देना पड़े ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं पंडित भार्गव के इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

डा० एम० एम० दास : मेरे संशोधन का अभिप्राय हथकरघा उद्योग द्वारा होने वाले विदेशी धागों के उपयोग पर रोक लगाना है और नकली रेशम, विदेशी ऊन आदि के धागों के उपयोग को निरूत्साहित करना है । नकली रेशम असली से सस्ती होने के कारण खूब चलती है, पर एक तो ग्राहक इससे ठगे जाते हैं और दूसरे इसके कारण वे असली रेशम का उपयोग भी छोड़ बैठते हैं । देश में नकली रेशमी धागे तैयार करने वाले दो कारखाने हैं और अधिकांश का आयात होता है । मैं सदन से पूछता हूं कि क्या यह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आप इस विदेशी नकली रेशमी धागे को प्रोत्साहित करने के लिए लगाने जा रहे हैं ? मेरे विचार से तो अपने मिलों के कपड़ों पर यह अतिरिक्त शुल्क हम अपने एक घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने के ही लिए लगाने जा रहे हैं । अतः हथकरघा उद्योग द्वारा विदेशी धागे के उपयोग का निषेध किए बिना इस विधेयक का बहुत कुछ लक्ष्य अधूरा रह जाता है । ऊनी धागे के निर्यात के विषय में मेरा निवेदन है कि देश में ऊन-उद्योग को तुरन्त विकसित करना चाहिए, क्योंकि हम कच्ची ऊन का निर्यात करके संवारी हुई ऊन या ऊनी धागे का निर्यात करते हैं ।

हमारे ऊन पैदा करने वाले क्षेत्र बड़े निर्धन हैं, पर पंजाब से आसाम तक के समग्र हपाड़वासियों की आर्थिक उन्नति इसी उद्योग पर निर्भर ह। मेरा सुझाव है कि खादी जैसे घरेलू उद्योग की सहायता के लिए लगने वाले कर से खादी के सहायक उद्योगों को भी विकसित करना चाहिए और विदेशी धागों के निर्यात को रोकना चाहिए। आशा है, मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्री आर० एन० एस० देव : पृष्ठ १ की पंक्ति १५ में से जो 'हथकरघा उद्योग' की परिभाषा बताती है, 'खादी या अन्य' शब्द अनावश्यक है और उनको निकाल लेने से अर्थ नहीं बिगड़ता। मेरा दूसरा संशोधन खादी की परिभाषा करने वाली पंक्ति १६ और १७ का विलोपन चाहता है। मैं तो खादी को ही घरेलू उद्योगों की सहायता करने वाले इस विधेयक से लुप्त कर देना चाहता हूं। हथकरघा उद्योग की सहायता से किसी को मतभेद न होगा, पर खादी का नाम निकाले बिना उसे कुछ लाभ न पहुंच सकेगा। २०० करोड़ रुपयों के रक्षा व्यय को खादी की सिद्धांतवादिता के प्रसंग में कैसे उचित ठहराया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आर्थिक पहलू को ही लें। राजनीतिक समस्या के आधार पर इसका विरोध करने से कोई लाभ न होगा।

श्री आर० एन० एस० देव : श्रीमान्, मेरा कहना यही है कि विधेयक का मूल लक्ष्य घरेलू उद्योगों को सहायता देकर देश में बेरोज़गारी कम करना है और उसके विभिन्न समाधान हो सकते हैं। जनशक्ति अधिक होने के कारण चीन ने उसका उपयोग करके विदेशी सहायता के बिना ही बांध खड़े कर लिए पर यहां दूसरे प्रकार के समाधान खोले जा रहे हैं, तथा औद्योगिक आदि नीतियों पर विशेष बल दिया जा रहा है। हम करोड़ों रुपये सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय कर रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे संगत है? क्या सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुछ कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है? यदि माननीय सदस्य को और कुछ नहीं कहना है, तो मैं उनसे बैठ जाने को कहूंगा।

श्री आर० एन० एस० देव : मैं जनशक्ति को छोड़कर अब अन्य तत्वों को लूंगा। आप गांधी के सिद्धांतों को सभी बातों में अपनाएं, दो प्रकार की खिचड़ी न पकाएं। प्राविधिक प्रगति की दिशा म आगे बढ़ कर अब इस प्रकार पीछे लौटने से क्या कुछ बचत हो सकेगी? यदि हम सदैव खादी को आर्थिक-सहायता देते रहे, तो वह बचत वाली कैसे बनी रहेगी? (अंतर्बाधाएं) थोड़े समय के लिए आप इसे पैरों पर खड़े होने में सहायता दे सकते हैं, पर अंत में मशीन और मनुष्य के संघर्ष नें इसको लड़खड़ाना ही पड़ेगा। औद्योगिक दंगे होने पर भी इंगलैंड मशीनों को न फेंक सका और अब वहां हाथ से कातने या बुनने वाली एक भी उद्योग नहीं है। आप आर्थिक सहायता दे देकर इस उद्योग को कब तक चलाते रहेंगे। खादी के लिए आप इस कर में से जितना देंगे, पता नहीं उससे क्या लाभ होगा, पर हथकरघा उद्योग को उतना कम मिलेगा। एक राज्य ने एक विधान सभा सदस्य को खादी परामर्शदाता नियुक्त किया। वह अनर्ह हो जाने के भय से वेतन तो ले न सकता था, अतः उसे एक विशाल बंगला, दो स्टेशन वैगन और बहुत सारा यात्रा-भत्ता दिया गया। इस प्रकार रुपए बहाने से न तो खादी का भला होगा और न हथकरघा उद्योग का। अतः समूचे हथकरघा उद्योग को सहायता देनी चाहिए।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मुझे यही कहना है कि हम अस्थायी कर-संग्रह अधिनियम के उपबन्ध पहली ही बार लागू करने जा रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो प्रायः सभी कराधान-प्रस्तावों में—वित्त विधेयक तक में—लागू होता है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : पर यह नया अधिनियम सदन के सामने आ रहा है और एक नया कर लगा कर एक नया पूर्वदृष्टांत खड़ा किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि १५ फरवरी के स्थान पर यह कर १५ मई से अर्थात् विधेयक पारित होने के बाद से आरम्भ किया जाए।

श्री के० सी० सोधिया : मुझे पांच मिनट में दो बातें कहनी हैं। गांधी जी के समय में ही खादी का लाखों आदमी विरोध करते थे और गांधी जी उनको हंस कर टाल देते थे, वही बात हम महाराजा के साथ करेंगे। डा० दास कहते हैं कि विदेशी धागे का उपयोग रोका जाए, पर अपने वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए हथकरघा उद्योग को अभी वर्षों तक विदेशी धागे की आवश्यकता पड़ेगी। अपने उद्योगों के विकसित हो जाने पर हम विदेशी धागे पर रोक लगा सकेंगे।

मैं अपने माननीय मित्र श्री भार्गव का बहुत आदर करता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का उद्देश्य तो करघों को प्रोत्साहन देना है। बिजली के करघे हाथ के करघों का स्थान नहीं ले सकते।

श्री सारंगधार दास : एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान्। क्या माननीय सदस्य किसी संशोधन पर बोल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे पण्डित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन पर बोल रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने जो शंका की है उस का समाधान तो खण्ड ५ (२) (ङ) में हो जाता है जिस द्वारा हमारा यह विचार है कि किसी भी ऐसे प्रकार के कपड़े को, जो इस समय केन्द्रीय आबकारी व नमक अधिनियम, १९४४ के अधीन आबकारी शुल्क से विमुक्त है, इस अधिनियम के अधीन किसी आबकारी शुल्क या उसके किसी भी अंश से मुक्त रखा जाय। केन्द्रीय आबकारी व नमक अधिनियम के अन्तर्गत सरकार बिजली के करघे पर बने कपड़े पर कोई आबकारी शुल्क नहीं लगाती है। इरादा यह है कि यह अधिनियम भी इसी प्रकार लागू किया जाय। विमुक्तियां वही होंगी जो कि केन्द्रीय आबकारी अधिनियम के अधीन दी जाती हैं। मेरा विचार है कि अब मेरे माननीय मित्र को संतोष हो गया होगा।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं सदन से अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति मांगता हूं।

श्री एस० बी० रामास्वामी : मेरा एक छोटा सा संशोधन संख्या १४ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत देर हो चुकी है। मैं ने इस ओर भी झांका था। माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं थे।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अधिनियम खण्ड में कहा गया है कि एक कर लगाया जायगा तो क्या नियम बनाने वाली शक्ति द्वारा किसी वस्तु को उस कर से विमुक्त किया जा सकता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र की कानून सम्बन्धी धारणाओं को इस से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए । सच तो यह है कि ऐसे किसी भी विधान में जिस के फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति होती हो, विमुक्ति का प्रश्न कर संग्रह करने वाले अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। यह सामान्य उपबन्ध है। यह शक्ति तो सरकार में निहित है । वे शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकते । परन्तु शुल्क से विमुक्ति तथा उस में कमी करने का प्रश्न सरकार पर छोड़ दिया जाता है । हम ने केवल कुछ शुल्कों के आरोपण के सम्बन्ध में अधिनियम बनाया है । जहां तक बिजली के करघों की विमुक्ति का प्रश्न है, प्रशासन के दृष्टिकोण से यह असम्भव है, इसीलिए इस सम्बन्ध में स्वविवेक से काम लेने का अधिकार सरकार को दे दिया गया है। इसीलिए वहां इस का उल्लेख किया गया है। सरकार द्वारा यह शक्ति लेने का यही काफी औचित्य है कि हम ने नियम बनाने की शक्ति के अंग के रूप में इस का उल्लेख किया है । और सदन को इस बात का संकेत किया गया है कि ऐसा किया जा सकता है । मेरे विचार में इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है क्योंकि राजस्व सम्बन्धी सभी विचारों के सम्बन्ध में इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है ।

श्री राघवाचारी : विमुक्ति के नियम का उपबन्ध किया गया है तो क्या इस का मतलब यह है कि कर इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि जिस केन्द्रीय आबकारी अधिनियम का उल्लेख किया गया है, उसके अधीन यह शक्ति सरकार में निहित है । यह तो केवल उसकी ओर निर्देश है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का मतलब यह है कि क्योंकि विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं, यह बात अप्रत्यक्ष रूप से नियम बनाने की शक्ति के अधीन नहीं लानी चाहिए ?

श्री राघवाचारी : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कई बार विचार किया जा चुका है । खण्ड ५ के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन पर प्रकाश डालूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । अभी तो यह प्रस्तावित ही नहीं; आ ।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय ने श्री एन० श्रीकान्तन नायर का संशोधन सदन के मत के लिए रखा और वह अस्वीकृत हुआ ।

डा० एम० एम० दास ने सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापिस ले लिया ।

सदन ने पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन के वापिस लिए जाने की भी अनुमति दे दी ।

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री आर० एन० एस० देव के दो संशोधन सदन के मत के लिए रखे और दोनों संशोधन अस्वीकार कर दिए गए ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान्, परिभाषा की भाषा दोषपूर्ण है । इस में रेशम, ऊन आदि की चर्चा तो की गई है परन्तु दो प्रकार के रेशों के मिश्रण की चर्चा नहीं की गई । इस से इस कानून को लागू करने में कठिनाई होगी । इस

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

में "या कोई मिश्रण" ये शब्द भी होने चाहिएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रण तो सदा ही इस में शामिल होता है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : नहीं, हम वकील लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी हो, सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अनावश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड २ बिधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।

खण्ड २ को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३—अतिरिक्त शुल्क का आरोपण आदि

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं रताव करता हूं :

"कि पृष्ठ २, पंक्ति ४ व पांच में "on cloth which is exported out of India" ("भारत से बाहर भेजे जाने वाले कपड़े पर") के स्थान "on course and medium cloth" ("मोटे तथा दर्म्याने कपड़े पर") को आदिष्ट किया जाय ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मैं स्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २ पंक्ति २ में,

"thereto"("उस के") के बाद :

"whether it has been sold or delivered to any party, subsequent to the appointed day"

("नियुक्त दिन के बाद यह किसी पक्ष को बेचा गया हो या पहुंचाया गया हो")

को निविष्ट किया जाय ।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति २० में,

"day" ("दिन") के बाद "in any factory" ("किसी भी कारखाने में") शब्दों का निवेश किया जाय ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मेरा संशोधन है :

कि पुष्ठ २, पंक्ति ३ में,

"Three pies" ("तीन पाई") के स्थान में "one pie" ("एक पाई") को आदिष्ट किया जाय ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : मैं संशोधन संख्या १८ रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १८ तो निपटाया जा चुका ।

श्री रघवय्या : मेरा संकेत सूची संख्या ३ के संशोधन संख्या १८ से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे संशोधनों पर संख्या क्रमानुसार लगाई गई है । संशोधन संख्या १८ खण्ड २ के सम्बन्ध में है और उसे निपटाया जा चुका है ।

श्री रघवय्या : यह खण्ड ३ के लिए है और सूची संख्या ३ में यह संशोधन संख्या १८ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे पढ़िये तो ।

श्री रघवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १, पंक्ति १८ में

(१) "additional" ("अतिरिक्त") के बाद "differential" ("भिन्नक"); और

(२) "excise on" ("पर शुल्क") के बाद "varieties of" ("के प्रकारों") को निविष्ट किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो संशोधन संख्या २१ है ।

श्री वल्लाथरास : म अपने संशोधन पर ज़ोर नहीं देता ।

इस के बाद उपाध्यक्ष महोदय ने श्री रघवय्या, पण्डित ठाकुर दास भार्गव, श्री एस० वी० रामास्वामी और श्री एन० श्रीकान्तन नायर के संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किए ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मैं अपने संशोधन द्वारा खण्ड ३ के एक अभाव की पूर्ति करना चाहता हूं । पहले विधेयक की तिथि २८ अक्तूबर, १९५२ है और प्रस्तुत विधेयक की ११ फरवरी, १९५३। मान लीजिए कि मिल मालिक कहते हैं कि इन दोनों तिथियों के बीच के समय में उन्होंने माल बेचा है । क्या उस पर आबकारी शुल्क लगेगा ?

श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी : हम न पहला विधेयक नहीं रखा और उस में यह खण्ड नहीं था—"अस्थायी कर-संग्रह अधिनियम, १९३१ के अधीन घोषणा ।" इस लिए पहले विधेयक का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कर लिया जा रहा है और माननीय सदस्य ने जिस गोरखधन्धे की चर्चा की है, वह हमारे सामने आ चुका है और हम ने उसे निपटा भी दिया है । मेरे विचार में अब इस से निपटने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब वे अपने संशोधन के माने जाने पर ज़ोर नहीं देते ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । मेरे विचार में बाहर भेजे जाने वाले कपड़े को शूल्क से विमुक्त करना भारतीय जनता के प्रति अन्याय है । दक्षिण भारत के मिल मालिकों को शिकायत है कि निर्यात के लाइसेंसों के लिए इतनी दौड़ धूप रहती है कि उन्हें लाइसेंस नहीं मिलते । इस से स्पष्ट है कि कपड़े के निर्यात में बहुत लाभ है । मेरा निवेदन है कि कपड़े के निर्यात पर भी कर लगाया जाय ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य की एक बात गलत है । लाइसेंस बिना रोक टोक दिए जाते हैं । कोई भी ले सकता है । जहां तक कपड़े के निर्यात का सम्बन्ध है, लाइसेंस देने से इन्कार नहीं किया जाता । कोचिन में भी लाइसेंस देने का एक कार्यालय है । और मात्रा की भी कोई सीमा नहीं है ।

जहां तक निर्यात पर कर का सम्बन्ध है, कपड़े पर निर्यात शुल्क लगता है । जब भी हम कर लगाना चाहें, हम निर्यात शुल्क लगा देते हैं । सारे आन्तरिक आबकारी शूल्कों से विमुक्ति दी जाती है । सामान्य नियम यही है । कपड़े पर जो केन्द्रीय आबकारी लगती है वह बाहर भेजे जाने वाले कपड़े पर नहीं लगती । यह इस व्यवहार के अनुसार है कि निर्यात

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

पर कोई आबकारी शुल्क नहीं लगाया जाता । उस पर जब हम शुल्क लगाना चाहते हैं तो निर्यात शुल्क लगाते हैं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेरे संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री का वक्तव्य पर्याप्त है । उस से मुझ सन्तोष है । मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मुझे केवल यही कहना है कि माननीय मंत्री ने यह उपबन्ध किया है कि सभी प्रकार के कपड़े पर,—उस का मूल्य चार आने गज़ हो या १० रुपये गज़, उस की चौड़ाई २० इंच, २४ इंच या ७० इंच है—शुल्क का दर १ पैसा प्रति गज़ होगा । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न की जांच कराएंगे, क्योंकि गरीब लोग जो कपड़ा पहनते हैं उस पर भी और अमीर लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पर भी एक ही दर पर शुल्क लगेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह ३ पाई प्रति वर्ग गज़ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं, साधारण गज़ ।

श्री राधेलाल व्यास : यदि यह क्षेत्रफल के हिसाब से लगाया जाता तो कुछ समानता तो रहती ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मलबोलक्कारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : ३ पाई प्रति रुपया अच्छा रहेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समायोजन तो केन्द्रीय आबकारी द्वारा किया जाता है । माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए नए समायोजन के अधीन हम बहुत बढ़िया कपड़े पर ३ पाई आबकारी शुल्क लगाते हैं । यहां तो प्रश्न यह है कि यह कर विशेष सदा रहेगा और ऐसा समय भी आ सकता है जब कि हम कपड़े पर केन्द्रीय आबकारी नहीं रखेंगे, परन्तु यह कर तो रहेगा ही । हम जो उपकर लगाते हैं वह प्रशासनात्मक ढंग से ही इकट्ठा किया जाना चाहिये । यदि केन्द्रीय आबकारी के न रहते हुए भी हमें जो कर इकट्ठा करना पड़े उस पर प्रशासन के भार अधिक होंगे तो हमारा उद्देश्य विफल हो जायगा । इस लिए हम ने एक सा दर रखा है । आबकारी विभाग द्वारा लिए जाने वाले भिन्न भिन्न दरों द्वारा सारे बोझ का समायोजन किया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि इस परिस्थिति में इस शुल्क का बोझ सस्ते या मोटे कपड़े पर अधिक नहीं पड़ता ।

एक माननीय सदस्य : हम समझ नहीं सके ।

श्री राधेलाल व्यास : ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता है कि भारत से भेजे जाने वाले कपड़े पर ऐसा शुल्क नहीं लगाया जायगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं । इसे दोहराने का कोई लाभ नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही इस पर प्रकाश डाल चुके हैं । निर्यात कर के साथ ही साथ आबकारी शुल्क नहीं लिया जाता है । उन दोनों में से एक लिया जाता है ।

श्री रघवय्या : मैं अपने संशोधन के बारे में कुछ कहने से पहले माननीय

मंत्री से अपील करूंगा कि विभिन्न प्रकार के कपड़े पर लिये जाने वाले भिन्नक शुल्क के प्रश्न पर विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा । श्री व्यास ने ऐसी ही बात कही थी और उस का उत्तर भी दे दिया गया था । माननीय मंत्री का कहना है कि प्रशासन के दृष्टिकोण से यह सुविधाजनक नहीं है । माननीय सदस्य इसी पर ज़ोर देना चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । मेरा तो केवल यही कहना है कि वे पहले खड़े हुए होते ।

श्री रघवय्या : मैं केवल इतना चाहता हूं कि जनता की एक बहुत बड़ी संख्या सुन्दर तथा अति सुन्दर प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करती है इसलिए सुन्दर तथा अति सुन्दर प्रकार के वस्त्रों को छोड़ कर हर प्रकार के कपड़े इस उपकर से मुक्त कर दिये जायं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उनको यह ध्यान रखना चाहिये कि बहुमत के मतदान से ही हमारा निर्वाचन हुआ तथा स्वयं उनका भी निर्वाचन बहुमत से हुआ है । इसलिए बहुमत का ध्यान रखना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं एक एक संशोधन सदन के सामने मतदान के लिए रखूगा ।

श्री रघवय्या द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या २१ अस्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं अपने संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

उक्त संशोधन सदन की अनुमनि से वापस ले लिया गया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

उक्त संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीकान्तन नायर का संशोधन सदन के मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री श्रीकान्तन नायर का संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ इस विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४—आगम का प्रयोग

श्री काचिरोयर (कुडलूर), डा० एम० एम० दास, श्री एन० श्रीकान्तन नायर श्री नम्बियार (मयूरम), श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री हैमराज (कांगड़ा), श्री रघवय्या, श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी), श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सारे संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किये गये ।

डा० एम० एम० दास : मेरा संशोधन केवल इतना है कि मैं चाहता हूं कि पृष्ठ २ पंक्ति ११ में शब्द "सके" के स्थान पर शब्द "गा" कर दिया जाय छोटा सा संशोधन होने पर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है । इस विधेयक का यह खंड जिस रूप में है यदि इसी रूप में हे तो

[श्री एम० एम० दास]

सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि इस उपकर द्वारा प्राप्त धन को जिस कार्य के लिए यह लगाया गया उसके अतिरिक्त किसी अन्य काय में भी लगा सकती है। पिछले विधेयक के स्थान पर इस विधेयक को लाकर "उपकर" शब्द को बदल कर "उत्पादन शुल्क" कर दिया गया है। "उपकर" का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिये किया जा सकता जिसके लिए कि वह लगाया गया है परन्तु "उत्पादन शुल्क" सामान्य राजस्व का एक अंग है। इसका समर्थन इस बात से भी होता है कि खंड ४ में कहा गया है, "केन्द्रीय सरकार प्रयोग कर सकती है·····" यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय तो यह खंड इस प्रकार पढ़ा जायगा, "केन्द्रीय सरकार इस विधेयक द्वारा लगाये गये उत्पादन के शुल्क के शुद्ध आगम का प्रयोग करेगी·····"। सदन के सदस्यों ने यही समझ कर इस विधेयक का हृदय से समर्थन किया है कि इस कर द्वारा प्राप्त एक एक पाई खादी उद्योग तथा करघा उद्योग के लिए प्रयोग में लाई जायगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा।

श्री पुन्नूस : आगम के प्रयोग पर "क" से "छ" तक कई उपखंड हैं। मैंने इनमें दो उपखंड 'ज' तथा 'झ' जोड़े हैं। मेरा विचार है कि जब तक मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तथा हजारों बेकार कामगारों को तात्कालिक सहायता देने की उत्तरवादिता सरकार अपने कंधों पर नहीं लेती है इस विधेयक का उनके लिए कोई भी महत्व न होगा। माननीय मंत्री ने अच्छे इरादों का उल्लेख किया है परन्तु यह तो ऐसा है जैसे किसी रोगी को जो मृत्यु के मुंह में है शक्ति की दवायें बताना है। तात्कालिक कार्य तो यह है कि उसको कोई औषधी दी जाय जिससे उसे मौत के मुंह से छीना जा सके।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किस) : मैं कामरेड पुन्नूस के संशोधन का समर्थन करता हूं। आज करघा उद्योग में संकट क्यों है? सूत के मूल्य के ढांचे में लगभग पचास प्रतिशत तो कच्ची रुई का मूल्य होगा। क्या बात है कि युद्ध काल में जब मुद्रास्फीति की पराकाष्ठा थी तो बास काउन्ट का सूत साढ़े बारह रुपये बण्डल मिल जाता था, फिर क्या बात है कि आज इसी का मूल्य बीस या इक्कीस रुपया है। चुंकि वे आंतरिक संसाधनों से देश की कच्ची रूई की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं इसलिए इस सरकार ने इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया। विभाजन के बाद रूई का आयात आवश्यक हो गया साथ ही रूई का प्रति एकड़ उत्पादन भी कम हो गया। इसी के कारण इस उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है।

यह उपबन्ध बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर उपकर का संग्रह एक दो करोड़ रुपया हो भी गया तो इस संशोधन के बिना इस विधेयक से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। बलरामपुरम के आस पास दो तीन वर्गमील के क्षेत्र में मैंने लगभग दश हज़ार करघे देखे हैं। १९४० के आरम्भ में जब मैं वहां गया तो यह केन्द्र संपन्न तथा आबाद था। गत वर्ष द्वितीयक सदन के एक माननीय सदस्य तथा इस सदन की माननीय महिला सदस्या कुमारी एनी मस्क्रीन के साथ मैं उसी क्षेत्र में गया तो हमने देखा कि सैंकड़ों करघे बेकार पड़े हैं। हमने कारण का पता लगाया तो पता चला कि बुनकर सूत खरीदने में अस-

मर्थ हैं क्योंकि उनके दाम बहुत चढ़ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन का संबन्ध खंड "ज" से है जो बेकारों को तात्कालिक सहायता देने के संबन्ध में है तथा खंड 'झ' से है जिस के द्वारा सरकार को करघे की उत्पादित सामग्रियों को खरीदने का अधिकार दिया गया है। मुझे खंड 'ज' के नियमानुकूल होने में संदेह है। तथा मैं खंड 'ज' को अनियमित घोषित करता हूं।

श्री वी० पी० नायर : हमें कुछ वास्तविक कार्य करना चाहिये। केवल काल्पनिक लोगों के दिमागों में उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं होगा। करघों की हालत ऐसी है कि भुखमरी मुंह बाय खड़ी है। मेरे मित्र का संशोधन इसलिये और भी आवश्यक है कि वर्तमान प्रशासन यंत्र की सहायता से उपकर से भी कुछ कर पाना संभव नहीं है।

श्री रघवय्या : मेरे संशोधन का सम्बन्ध.....

पंडित के० सी० शर्मा : सभापति ने उसे अनियमानुकूल घोषित कर दिया है।

श्री रघवय्या : कल तक तो ऐसा नहीं था। रात भर ही में ऐसा किस प्रकार हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जुलाहों को बेकारी में सहायता देना बहुत अच्छा कार्य हो सकता है परन्तु इस विधेयक के विषय से उसका कोई संबन्ध नहीं है इस तरह आप का भी संशोधन अनियमानुकूल घोषित किया गया।

श्री रघवय्या : तब मैं कुछ शब्द संचित तालिका के अपने संशोधन संख्या १० के संबन्ध में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि वह प्रस्तुत नहीं किया गया था।

श्री नम्बियार : मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : बेकारी के भत्ते के संबन्ध का उनका संशोधन अनियमानुकूल है।

श्री नम्बियार : इस उद्योग को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए कुछ न कुछ सहायता तुरन्त देने की आवश्यकता है इस लिये मैंने सुझाव दिया है कि दस या दस से कम जिनके करघे हैं उन्हें कुछ अर्थ सहायता दी जाय, चाहे भत्ते के रूप में, चाहे सस्ते दामों पर सूत देकर। कहा जाता है कि इस उपकर से पांच करोड़ रुपया मिलेगा। यदि यह रुपया सब करघों पर बांटा गया तो कोई भला न होगा। इसलिए उनका उत्पादन सरकार खरीदे या सरकार अर्थ सहायता दे ताकि सरकार हानि सहन करे तथा कामकार जो कपड़ा तैयार करते हैं उन्हें कुछ मिल जाय। आज या तो सत का दाम घटाया जाय या कपड़े का दाम बढ़ाया जाय। कपड़े के दाम बढ़ाने से उसकी बाज़ार में खपत नहीं होगी क्योंकि लोगों की क्रय-शक्ति बहुत गिर गई है। इसलिए केवल एक ही उपाय है कि सरकार बीच में पड़ कर सहायता करे। यदि इस प्रकार वे पांच करोड़ रुपया प्राप्त कर सकते हैं तो हम पांच करोड़ रुपये का और अनुदान देंगे। यदि ऐसा न किया गया तो एक मन्डल बनेगा, बड़े बड़े वेतनों तथा भत्तों पर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, कुछ

[श्री नम्बियार]

प्रचार होगा कि करघे का कपड़ा खरीदना आवश्यक है इत्यादि। इन व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय हो जायगा तथा जिनको सहायता की आवश्यकता है उनके पास एक पाई भी नहीं पहुंचेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १०० के सम्बन्ध में मैं दामोदर मेनन तथा राघवाचारी से जानना चाहूंगा तथा माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करे कि यह संशोधन जो मिल के बने वस्त्रों के उत्पादन को रोक देना चाहता है किस प्रकार नियमानुकूल है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा समझ में नहीं आता है कि आगम के प्रयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार इस उपकर के आगम को मिल के कपड़ों के उत्पादन को रोकने में कैसे व्यय कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं इसे अनियमानुकुल घोषित करता हूं।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : मैं श्री काचिरोयर के संशोधन का अनुमोदन करता हूं, जो निधि का केन्द्र से राज्य सरकारों के हाथ में हस्तान्तरण चाहता है। इस विकेन्द्रीकरण से पहले तो प्रशासन में बचत होगी। दूसरे इसे प्रत्येक राज्य में वहां स्थित करघों के अनुपात से बांटा जा सकेगा तथा तीसरे इससे उन बुनकरों को लाभ पहुंचेगा, जिनके हितों का संरक्षण हमें अभिप्रेत है। साथ ही इससे इसके प्रशासन में शीघ्रता भी हो सकेगी। इस प्रकार केन्द्र सरकार कुछ राज्यों के थोड़े से बुनकरों के ऊपर सारा राशि व्यय न कर पाएगी। मुझे ज्ञात है कि हथकरघे के बुनकर मुख्यत: मद्रास, आसाम और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मैं श्री वेंकटारमन के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए सदन के सामने रखे देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ४ संबंधी सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १, नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक १० अप्रैल, १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई।